FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** अजमेर **P.S. (थाना):** ब्यावर सदर **Year (वर्ष):** 2019

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0003 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/01/2019 20:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	417
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	465
4	भा दं सं 1860	466
5	भा दं सं 1860	467
6	भा दं सं 1860	468
7	भा दं सं 1860	471
8	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** **Date From (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/01/2019 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 037 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/01/2019 20:10:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** दक्षिण, 8 किमी **Beat No. (बीट सं.) :**

(b)**Address(पता):** उप पंजीयन कार्यालय, ब्यावर

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** अनील खरपाल

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** स्व. तरसेमलाल

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**वर्तमान पता**	अभियंता नगर गली नं 1, वैशाली नगर, क्रिश्चयनगंज, अजमेर, राजस्थान, भारत
2	**स्थायी पता**	अभियंता नगर गली नं 1, वैशाली नगर, क्रिश्चयनगंज, अजमेर, राजस्थान, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष न.):**

Mobile (मोबाइल न.):

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	डॉ. इनोसदास प्रधान			1. अनुग्रह निवास,मिशन कम्पाउण्ड केडी प्रधान रोड कलीमपाऺेग,अरूणाचल प्रदेश, चांगलांग,अरुणाचल प्रदेश,भारत
2	दरबारासिंह बिशप			1. बस स्टेण्ड के सामने,अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान,भारत
3	राकेश सेमुएल			1. सचिव डायोसीस,बस स्टेण्ड के सामने, अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान, भारत

4	प्रेम मसीह		पिता:रेव. रहमत मसीह	1. मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
5	जस्टिन बोनिफेस		पिता:जेएम बोनिफेस	1. बजाज नगर,जयपुर शहर (उत्तर, राजस्थान,भारत
6	पीके सामन्ता रॉय बिशप			1. अमृतसर,अमृतसर ग्रामीण,पंजाब, भारत
7	डॉ. पीसी सिंह			1. नेपियर टाउन,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत
8	डॉ. वी.ए. मालविया			1. 10,एबनेजर सोसायटी जीवराज पार्क, विजालपुर अहमदाबाद,अहमदाबाद शहर, गुजरात,भारत
9	डॉ. वी. जे. सिरवय्या			1. मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
10	वारिस मसीह			1. बस स्टेण्ड के सामने ,जयपुर रोड अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान, भारत
11	मिस्टर क्रिस्टोफर टेवरेस			1. जय स्तम्भ चौक,रायपुर,रायपुर, छत्तीसगढ़,भारत
12	पी.पी. मराण्डी बिशप			1. भागलपुर,भागलपुर,बिहार,भारत
13	अलवान मसीह			1. सीएनआई भवन 16 पण्डित मार्ग,न्यु देहली,नई दिल्ली,दिल्ली,भारत
14	युनिस मसीह			1. बिशप हाउस,सीएनआई मिशन कम्पाउण्ड,ब्राउन रोड लुधियाना, लुधियाना ग्रामीण,पंजाब,भारत
15	अविनाश कुमार			1. ईविंग क्रिश्चयन सीनियर सैकण्डरी स्कुल ब्राउन रोड,ब्राउन रोड लुधियाना, लुधियाना ग्रामीण,पंजाब,भारत
16	जोन शान्तानन्दा			1. सेन्ट मेरी चर्च एफिन्सटन पुल के नीचे, पैरल मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
17	प्रकाश पाटोले			1. होली क्रोस चर्च कम्पाउण्ड फर्स्ट फलोर 57 आर.बी. मार्ग,उमलखेडी मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
18	एडवर्ड ई. मंगजी			1. मसीह कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल, बाउण्ड्री रोड इन्दाैर,इंदौर,मध्य प्रदेश, भारत
19	मनोज चरण			1. फर्स्ट चर्च सीएनआई शैलाना बस स्टेण्ड के पास रतलाम,रतलाम,रतलाम ,मध्य प्रदेश,भारत
20	आर.पी. टाईट्स			1. प्री बाईटर सेन्ट मार्ग चर्च छिलवाडा, छिलवाडा,छिंदवाड़ा,मध्य प्रदेश,भारत
21	सुरेश सी जैकब			1. मिशन प्रेस कम्पाउण्ड 2753 नेपियर टाउन,जबलपुर,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
22	अलीन मोहिते			1. एन आई क्यु हॉस्टल मिराज मेडिकल सेन्टर मिराज,मिराज,नवी मुंबई,महाराष्ट्र, भारत
23	संदीप राउत सांगली			1. मिशन कम्पाउण्ड,सांगली इण्डरस्ट्रीयल स्कूल राम मन्दिर के सामने,सांगली, अजमेर,राजस्थान,भारत

24	पी.एल कामले			1. बिशप हाउस,तारकपुर ओट्रन रोड अहमद नगर,अहमद नगर,अहमदाबाद ग्रामीण,गुजरात,भारत
25	संजय वागमारे			1. पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास, सारनपुर,सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
26	श्रीमति रचनासिंह			1. प्रिन्सिपल उरसुला गर्ल्स हाई स्कूल, सिविल लाईन नागपुर,नागपुर शहर, महाराष्ट्र,भारत
27	मिस्टर विजय सुतार			1. वैभव लक्ष्मी अपार्टमेन्ट,फलेट नम्बर एस ए 1 मोहन नगर,नागपुर,नागपुर शहर,महाराष्ट्र,भारत
28	एण्ड्रयु राठौड			1. 1ए जनरल भगत मार्ग लाल बंगलो, पुणे,पुणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
29	एम. यु. कसाब			1. बंगलो नम्बर 28/ए,मिशन कम्पाउण्ड, औरंगाबाद केन्ट,औरंगाबाद शहर,महाराष्ट्र, भारत
30	डॉ. लाल बहादुर कांगले			1. नूतन बसाहट अम्बाड रोड,जालना, जलना,महाराष्ट्र,भारत
31	श्री अजय धर्मराज			1. अवन्ती बाई का चौक,पंजाब नेशनल बैंक के पास लोधीपारा,रायपुर,रायपुर, छत्तीसगढ़,भारत
32	अशोक विश्वास			1. बिशप हाउस 51,चौरंगी रोड, कलकत्ता,कोलकाता उत्तर प्रभाग,पश्चिम बंगाल,भारत
33	पी.के. मित्रा			1. बिशप हाउस 51,चौरंगी रोड कलकता, कोलकाता उत्तर प्रभाग,पश्चिम बंगाल, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या -1 ब्यावर परिवाद 213/2018 युनाईटेड चर्च आफ नॉर्दन इण्डिया जरिये अनिल खरपाल पुत्र स्व. तरसेमलाल निवासी अभियन्ता नगर गली नं. 1 वैषाली नगर अजमेर मुख्तयारखास श्री सी पी भुजवल मोडरेटर निवासी क्राईस्ट चर्च 381 रास्ता पेठ पुणे (मोडरेटर युसीएनआई) अभियोगी बनामा 1.श्री प्रेम मसीह पुत्र श्री रेव. रहमत मसीह ओमेगा बिल्डिंग 19 अगस्त क्रांति मार्ग मुम्बई 400007 2. श्री जस्टिंन बोनिफेस पुत्र श्री श्री जे एम बोनिफेस निवासी ए 53 विद्यालय मार्ग बजाज नगर जयपुर 3. श्री पीके सामन्ता रॉय बिषप अमृतसर डायोसिस 26,

आर.बी.प्रकाषचंद रोड अमृतसर 4. डॉ. पी सी सिंह उपमोडरेटर जवलपूर डायोसिस 2131 नेपियर टाउन जबलपुर। 5. डॉ. वी ए मालविया 10 एबेनेजर सोसायटी जीवराज पार्क विजालपुर अहमदाबाद। 6. डॉ. वी जे सिरवयया विलसन कॉलेज चोपाटी मुम्बई। 7. श्री वारिस मसीह 2/10 सी एन आई सोषल सेन्टर बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर । 8. मिस्टर क्रिस्टोफर टेवरेस गोस मेमोरियल सेन्टर जय स्तम्भ चोक रायपुर । 9. श्री पी पी मराण्डी बिषप क्राईस चर्च कम्पाउन्ड भागलपुर बिहार।10. श्री अलवान मसीह बिषप सी एन आई भवन 16 पण्डित मार्ग न्यू देहली। 11. श्री युनिस मसीह बिषप हाउस सी एन आई मिषन कम्पाउण्ड ब्राउन रोड लुधियाना।12. श्री अविनाष कुमार ईविंग क्रिष्चन सीनियर सेकण्डरी स्कूल ब्राउन रोड लुधियाना। 13.९ श्री जोन षान्तानन्दा सेन्ट मेरी चर्च एफिन्सटन पुल के नीचे परैल मुम्बई 14. श्री प्रकाष पाटोले होली क्रोस चर्च कम्पाउण्ड फर्स्ट फलोर 57 आर बी मार्ग उमल खेडी मुम्बई।15.श्री एडवर्ड ई मंगजी मसीह कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल 9९ बाउण्ड्री रोड इन्दौर 16.श्री मनोज चरण फर्स्ट चर्च सी एन.आइ.षैलाना बस स्टेण्ड के पास रतलाम 17. श्री आर पी टाईटस प्री ब्राइटर सेन्ट मार्ग चर्च छिलवाडा मध्यप्रदेष।18. श्री सुरेष सी जैकब मिषन प्रेष कम्पाउण्ड 2753 नेपियर टाउन जबलपुर 19. श्री अलीन मोहीते एन आई क्यू हॉस्टल मिराज मेडिकल सेन्टर मिराज 20. श्री संदीप राउत सांगली इण्डरस्ट्रीयल स्कूल राम मन्दिर के सामने मिषन कम्पाउण्ड सांगली 21. श्री पी एल कामले बिषप हाउस तारकपुर ओट्रन रोड अहमद नगर 22. श्री संजय वागमारे पुलिस कमिष्नर कार्यालय के पास सारनपुर 23.श्रीमती रचना सिंह प्रिंसिपल उरसुला गर्ल्स हाई स्कूल सिविल लाईन्स नागपुर।.24. मिस्टर विजय सुतार वैभव लक्ष्मी अपार्टमेन्ट फलेट नम्बर एस ए 1 मोहन नगर नागपुर। 25.श्री एण्ड्रयू राठोड 1ए जनरल भगत मार्ग लाल बंगलो पुणे। 26. श्री एम यु कसाब बंगलो नम्बर 28/ए मिषन कम्पाउण्ड ओरगांबाद केन्ट।27. डॉ लाल बहादुर कांगले नुतन बसाहट अम्बाड रोड जालना महाराष्ट।28 श्री अजय धर्मराज अवन्ती बाई का चोक पंजाब नेषनल बेंक के पास लौधीपारा रायपुर।29. श्री अषोक विष्वास बिषप हाउस 51 चौंरगी रोड कोलकता।30. श्री पी के मित्रा बिषप हाउस 51 चौंरगी रोड कोलकता 31. डॉ इनोसदास प्रधान अनुग्रह निवास मिषन कम्पाउण्ड केडी प्रधान रोड कलीमपोंग अरूणाचल प्रदेष।32. श्री दरबारा सिंह बिषप सी एन आई डायोसिस राजस्थान बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर। 33. श्री राकेष सेमूएल सचिव डायोसिस राजस्थान बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर।अभियुक्तगण परिवाद अन्तर्गत धारा 417,420,465,466,467,468,471,120बी भा.द.स. परिवादी माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करता है कि- 1.यह कि परिवादी संस्था एक धार्मिक संस्था है, जिसका गठन वर्ष 1924 में हुआ था और वर्ष 1970 में इसका पंजीकृत सोसायटी एक्ट के तहत हुआ था जिसका क्रमांक 28/1977-78 है। 2.यह कि चूंकि परिवादी संस्था मात्र एक सोसायटी थी, इसलिये उसने अपनी समस्त सम्पतियों को ग्रहण करने व रखरखाव के लिये एक ट्रस्टी संस्था युनाईटेड चर्च आफ नॉर्दन इण्डिया ट्रस्ट एसोषियेषन का का गठन कम्पनी एक्ट के तहत किया, जिसका क्रमांक 2912/1938-39 है। (जिसे अब आगे ट्रस्टी संस्था कहा जायेगा) 3.यह कि इसी संस्था का महाराष्ट्र सोसायटी एक्ट के प्रभाव में आने के बाद सोसायटी एक्ट में चैरेटी कमिष्नर बम्बई के यहा भी पंजीकरण करा दिया गया, जिसका क्रमांक डी97/1957 है। 4. यह कि ब्रिटिषकाल से ही ईसाई धर्म के मानने वाले लाखों व्यक्ति इस चर्च के सदस्य बने और समय समय पर इस चर्च में या तो सम्पतियां दान से प्राप्त होती रही अथवा इसका निर्माण किया जाता रहा या खरीदा गया, इस प्रकार चर्च की हजारों सम्पतियां सम्पूर्ण भारत में फैली हुई है। जिनका सम्पूर्ण नियंत्रण ट्रस्ट संस्था के जरिये चर्च के द्वारा किया जाता है। 5. यह कि राजस्थान राज्य में राजपूताना प्रेस बिटेरियन मिषन ने दिनांक 25.02.1972 को अपनी सारी सम्पतियां जो कि राजस्थान में स्थित है। परिवादी संस्था की ट्रस्ट एसोषिएषन में दिनांक 18.03.1971 को हस्तांतरित कर दी। 6. यह कि वर्ष 1971 में 6 चर्चों द्वारा विलीनीकरण के लिये मात्र एक प्रस्ताव पास किया लेकिन आगे कोई कार्यवाही नही की इस प्रस्ताव के बाद सी.एन.आई. के पदाधिकारियों द्वारा इन चर्च के प्रोपर्टी जिसमें परिवादी संस्था की बहुत ज्यादा सम्पतियां है, लूट मचा दी और विषेषकर अभियुक्त संख्या 1 ने सी.एन.आई. के सदस्य होना बताते हुए यू.सी.एन.आई.टी.ए.के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर वर्ष 1994 से काबिज होना बताते हुए विभिन्न लोगों को पॉवर आफ अर्टोनी देते हुए अरबों रूपयों ही हजारों सम्पतियां का बेचान कर दिया। 7. यह कि सी.एन.आई.के पदाधिकारियों द्वारा इस मची लूट को देखते हुए बर्द्रन चर्च आफ यू.एस.ए. की एक शाखा फर्स्ट डिस्ट्रिक चर्च आफ नार्दन बर्द्रन ने 6 चर्चा के एकांकीकरण के लिये प्रस्तुत चेन्ज रिपोर्ट दिनांक 44 व 665 वर्ष 1981 को अहमदाबाद न्यायालय में चुनौती दी अन्त में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 8800-8801/2013 विनोद कुमार एम मालविया बनाम मंगनलाल मंगलदास गमेति जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 30.09.2013 को खारिज कर दिया तथा चर्च के विलीनीकरण के लिये यह स्पष्ट मत दिया कि - after analysing the facts and the law in the matter.we have noticed that it is the duty of the society to take steps in accordance with section 13 of the SR Act for it is dissolution We have further noted that unless the properties vested in the trust are divested in accordance with the provisions of the SR Act and in accordance with the BPTA,merely by filing the change reports,CNI can not claim a merger of churches and thereby claim that the properties vested in the Trust would vest in them In our opinion it would only be evident from the steps taken that the passing of resolution in nothing but an indication to show the

intention to merge and nothing else 8.यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि मात्र प्रस्ताव पारित करने के आधार पर 6 चर्चा का विलीनीकरण नही हुआ है और मात्र प्रस्ताव पारित करने के आधार पर सी.एन.आई. 6 चर्चा की सम्पति को अपनी सम्पति नहीं बता सकती। 9. यह कि उपरोक्त स्पष्ट निर्णय के बावजूद उपरोक्त वर्णित अभियुक्तगण एक षडयंत्र के तहत एक मत होते हुए यू.सी.एन.आई.का सी.एन.आई. में विलीनीकरण बता रहा है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहा है। 10. यह कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. के गठन के लिये चर्च के 30 सदस्य जनरल असेम्बली द्वारा भेजे जाते है लेकिन अभियुक्त संख्या 01 ने अभियुक्तगण संख्या 02 लगायत 30 के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र किया और सारे व्यक्ति जो कि सी.एन.आई. के सदस्य है और यू.सी.एन.आई. के सी.एन.आई. में विलय को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी नही मानते हुए यू.सी.एन.आई.टी.ए. का सदस्य बनाने को सहमत हुए ताकि यू.सी.एन.आई.टी.ए. की सम्पतियों की लूट की जा सके तथा उन्हें अवैध रूप से बेचान किया जा सके। 11. यह कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. के सिद्धांत से स्पष्ट है कि उसके 30 सदस्यों की नियुक्ति यू.सी.एन.आई. की जनरल एसेम्बली द्वारा की जायेगी और फिर उन्हीं सदस्यों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/ट्रेजरार का चुनाव किया जायेगा। 12. यह कि उक्त स्पष्ट प्रावधान के बाद उपरोक्त अभियुक्तगण जो कि सी.एन.आई. के सदस्य है और इस यू.सी.एन.आई.टी.ए. के मेम्बर बने और उनमें से अभियुक्त संख्या 01 उस संस्था का स्वंयभू मैनेजिंग डायरेक्टर बना हुआ है और यह एक बडा भूमाफिया है, जिसने यू.सी.एन.आई.टीए. के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बाकी सदस्यों की सी.एन.आई. से नियुक्ति दिखाते हुए सम्पतियों का बेचान जारी रखा और वास्तविक संस्था के द्वारा किये गये वैधानिक बेंचानों के विरूध जगह जगह मुकदमें दर्ज कराये गये। 13. यह कि उपरोक्त अभियुक्त संख्या 2,3,4,5,6,7,8,31 अभियुक्त संख्या 01 से आपराधिक षडयंत्र करके यू.सी.एन.आई. टी.ए. के डायरेक्टर बन गये, ताकि मनमाने प्रस्ताव पारित किये जा सके और ट्रस्ट की संस्था की सम्पतियों को अवैध रूप से बेचान किया जा सके। 14. यह कि इसी क्रम में अभियुक्त संख्या 01 के तथाकथित पावर आफ अर्टोनी अभियुक्त संख्या 02 ने ब्यावर में 4 मुकदमें दर्ज कराये, जिसकी प्रथम ईत्तला सूचना 30/2018 थाना ब्यावर सदर है, जिसका माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसका मुकदमा नम्बर 472/2018 है। 15. यह कि मुकदमें की तफतीष के दौरान जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये वह पूर्ण रूप से कुटरचित है। अभियुक्त संख्या 02 ने जो पॉवर आफ अर्टोनी प्रस्तुत की वह दिनांक 22.10.2017 को ही समाप्त हो चुकी थी और इस मुकदमें को प्रस्तुत करने की तारीख पर उनकी पावर आफ अर्टोनी ही समाप्त हो गई थी, इस प्रकार उक्त पावर आफ अर्टोनी भी कूटरचित है। 16. यह कि उक्त पावर आफ अर्टोनी तथाकथित रूप से प्रोपर्टी कमेटी यू.सी.एन.आई.टी.ए. के प्रस्ताव के द्वारा की की गई है तथा वी एम मालवीया व वीजे सिरवया द्वारा निष्पादित की गई है जिसमें अभियुक्त संख्या 1 गवाह है। उक्त पावर आफ अर्टोनी पूर्णरूप से फर्जी है क्योंकी अभियुक्त संख्या 1 तथा अभियुक्त संख्या 5 तथा अभियुक्त संख्या 6 तीनों ही यू.सी.एन.आई. के सदस्य नही है तथा अभियुक्त संख्या 1 उक्त ट्रस्ट संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर भी नही है बल्कि सी.एन.आई. के सदस्य है, इस प्रकार उक्त पावर आफ अर्टोनी भी कूटरचित है। 17. यह कि इस तफतीष के दौरान अभियुक्त संख्या 1 ने दिनांक 29.04.2018 को एक पत्र थाना प्रभारी अधिकारी को लिखकर यह सूचित किया है कि उन्होने बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर यू.सी.एन.आई.टी.ए. अभियुक्त संख्या 2 को पावर आफ अर्टोनी नियुक्त कर रखा है उन्होने यह पत्र यू.सी.एन.आई.टी.ए. के मैनेजिंग डायरेक्टर के बतौर हस्ताक्षर किये है लेकिन वह मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नही है इस प्रकार उक्त पत्र भी कूटरचित है। 18 यह कि कम्पनी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को भारत की किसी भी कम्पनी ने डायरेक्टर बनने के लिये डिनDIN नम्बर लेना पडता है उसके बिना कोई भी व्यक्ति भारत की किसी भी कम्पनी में डायरेक्टर नही बन सकता है तथा एक व्यक्ति को एक ही डिन DIN नम्बर आवंटित होता है, चाहे वह कितनी भी कम्पनी में डायरेक्टर क्यों ना बने उसका डिन DIN नम्बर एक ही रहेगा। 19. यह कि अभियुक्त संख्या 1 ने कम्पनी मंत्रालय से छल करके दो डिन DIN नम्बर आवंटित कराये, जिसमें एक में उसका नाम प्रेम मसीह बताया गया है जिसका डिन DIN नम्बर 788353 है और दूसरा डिन DIN नम्बर प्रेम रहमत मसीह के नाम से जिसका डिन DIN नम्बर 00711699 है। 20. यह कि कम्पनी मंत्रालय द्वारा जब अभियुक्त संख्या 1 के उपरोक्त छल को पकडा गया तो उन्होने अपने आदेष दिनांक 21.05.2015 से अभियुक्त संख्या 1 द्वारा लिये गये द्वितीय DIN नम्बर 00788353 को समाप्त कर दिया। ज्ञातव्य रहे कि उक्त DIN नम्बर ही अभियुक्त संख्या 1 को तथाकथित रूप से प्रेम मसीह के नाम से आवंटित हुआ था। अभियुक्त संख्या 1 के पास ना तो पहले ना अब इस नाम का कोई DIN नम्बर मौजूद है और वह भारत के किसी भी कम्पनी में इस नाम से डायरेक्टर नही बन सकता। 21. यह कि दूसरा DIN नम्बर 00711699 प्रेम रहमत मसीह के नाम से जारी हुआ और उसे भी कम्पनी मंत्रालय ने दिनांक 01.11.2016 से 31.10.2021 तक के लिये निलंम्बित कर दिया है। ज्ञातव्य रहे कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. में कभी भी प्रेम रहमत मसीह नाम का कोई व्यक्ति नही रहा है और प्रेम मसीह के नाम से जो DIN नम्बर प्राप्त हुआ था उसे कॉरपोरेट मंत्रालय ने समाप्त कर दिया। 22.यह कि इससे स्पष्ट है कि दिनांक 08.01.2018 को जब अभियुक्त संख्या 2 ने बतौर पावर आफ अर्टोनी होल्डर अभियुक्त संख्या 1 के इस्तगासा प्रस्तुत किया उस दिन उनके पास कोई पॉवर ऑफ अर्टोनी नही थी जो पावर आफ अर्टोनी उन्होने प्रस्तुत की है वह समाप्त हो चुकी थी और उन्होने यह जानते हुए भी उसे तफतीष में पेष किया साथ ही अभियुक्त संख्या 1 ने जो पत्र लिखा कि उन्होने अभियुक्त संख्या 2 को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पॉवर आफ अर्टोनी दी है वह भी कूटरचित है। क्योंकी उस तारीख को

अभियुक्त संख्या 1 भारत की किसी भी कम्पनी में डायरेक्टर नही थे और हो भी नही सकते थे। क्योंकी उनके पास तो कोई DIN नम्बर ही नही था। 23. यह कि इसी तफतीष के दौरान अभियुक्त संख्या 1 ने कम्पनी मंत्रालय में दिनांक 07.04.2017 को वार्षिक रिर्टन प्रस्तुत करी उसमें अभियुक्त संख्या 3 लगायत 31 बतौर सदस्य दर्षाये हुए है और अभियुक्त संख्या 3,4,5,6,7,8,31 बतौर डायरेक्टर दर्षाये हुए है और इन्होने अभियुक्त संख्या 1 को उक्त रिर्टन भरने की सहमति दे रखी है। उक्त वार्षिक रिर्टन भी कूटरचित है और तफतीष अधिकारी से मिलकर तफतीष में प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिपोर्ट को पेज नम्बर 5 पर प्रेम रहमत मसीह DIN नम्बर 00711699 बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर दस्तखत किये है लेकिन जो लिस्ट डायरेक्टर के साथ में संलग्न है उसमें उनका नाम प्रेम मसीह दर्षाया गया है और प्रेम मसीह के पास कोई DIN नम्बर ही नही है, वह डायरेक्टर हो ही नही सकते और उन्होने प्रेम रहमत मसीह का जो DIN नम्बर काम मे लिया वह कारपेरेट मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.11.2016 से पॉच वर्ष के लिये निलम्बित किया हुआ है। 24. यह कि इस प्रकार वार्षिक रिपोर्ट जो कूटरचित है इस तफतीष में इसलिये प्रस्तुत की गई कि यह बताया जा सके कि अभियुक्त संख्या 1 यू.सी.एन.आई.टी.ए. का मैनेजिग डायरेक्टर है और इस षडयंत्र में अभियुक्त संख्या 1 लगायत 31 शामिल है। क्योंकी उन सबको मालूम है कि अभियुक्त संख्या 1 के पास DIN नम्बर ही नही है और जो प्रेम रहमत मसीह का जो DIN नम्बर वह काम में ले रहे है वह भी निलम्बित है इस प्रकार इन समस्त अभियुक्तगण 1 लगायत 31 ने आपरधिक षडयंत्र रचकर कूटरचित रिपोर्ट कारपोरेट मंत्रालय में प्रस्तुत की और फिर उसी को सत्य दर्षाते हुए इस तफतीष में प्रस्तुत की। 25. यह कि प्रथम ईत्तला सूचना के अभियुक्त श्री सागर अल्फ्रेड व श्री रूबीन सतीष रायडु ने तफतीष के दौरान यह सारे तथ्य तफतीष अधिकारी के ध्यान में ला दिये थे और उन्होने कागजात भी दिये थे लेकिन उन्होने जानबूझकर अभियुक्तगण को गिरफतार करने की नियत से उक्त सारे दस्तावेज जांच पत्रावली में शामिल नही किये। 26. यह कि इस प्रकरण के अभियुक्त सागर अल्फ्रेड की जमानत की याचिका संख्या 12824/2018 जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में आई, तब अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त सारे दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। न्यायालय के न्यायाधिपति द्वारा उक्त दस्तावेजों की सत्यता को जांचने के लिये ब्यावर सदर के सी.आई. को आदेषित किया गया उन्होने 10 दिन का समय मॉगा और फिर न्यायालय में दिनांक 12.11.2018 को उपस्थित होकर यह स्वीकार किया कि यह दस्तावेज वास्तविक एंव सही है। तब माननीय न्यायाधिपति द्वारा उनसे एक प्रष्न पूछा गया कि जब यह दस्तावेज सही है तो अभियुक्त को कैसे गिरफतार किया गया उसका वह जवाब नही दे सके और फिर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेष दिये गये। 27.यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेष से यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रथम ईत्तला सूचना बिना किसी क्षेत्र अधिकारिता के गलत व्यक्ति द्वारा कूटरचित आधारों पर प्रस्तुत की गई है। 28. यह कि अभियुक्त संख्या 32 जो कि तथाकथित रूप से राजस्थान डायसिस का बिषप है और उसे भी अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पावर आफ अर्टोनी दी गई है उन्हे भी यह मालूम है कि अभियुक्त संख्या 1 किसी भी संस्था में डायरेक्टर के पद पर नही है। फिर भी उन्होने उक्त कूटरचित पावर आफ अर्टोनी का दुरूपयोग करते हुए इस एफ.आई.आर. से सम्बधित सम्पति पर आकर खरीददार को खुलेआम धमकी दी कि मेरा नाम दरबारा सिह है मै प्रेम मसीह का पावर आफ अर्टोनी होल्डर हॅू और मौजूदा लोगों को गंम्भीर अंजाम भुगतने की धमकी दी मजदूरों को भगा दिया, वहा पर पडे सामान को एक जीप में भरकर कही भिजवा दिया इस प्रकार अभियुक्त संख्या 32 भी अभियुक्त संख्या 1 के साथ षडयंत्र में शामिल है और उसके द्वारा दी गई कूटरचित पावर आफ अर्टोनी का दुरूपयोग कर रहा है। 29. यह कि उपरोक्त प्रकार से इन सभी अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 417,420,465,466,467,468,471,120बी के अपराध किये। परिवादी ने इस संबध में थाना ब्यावर सदर के अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके रिपोर्ट देनी चाही तो उन्होने नही ली जिस पर उन्हे उक्त रिपोर्ट डाक द्वारा भेजी गई है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नही हुई। इसलिये माननीय न्यायालय में यह इस्तगासा प्रस्तुत किया जा रहा है। 30. यह कि इस प्रकरण की तफतीष पुलिस से कराया जाना अति आवष्यक है क्योंकी सारे ही अभियुक्तगण से तफतीष की जाकर वांछित दस्तावेज की बरामदगी की जा सके और न्यायालय में प्रस्तुत की जा सके। अत निवेदन है कि प्रकरण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3)के तहत थाना ब्यावर सदर ब्यावर में तफतीष हेतु भेजा जाये और बाद अनवीक्षा अभियुक्तगण को दण्डित किया जाये। ब्यावर दिनांक 10/12/18 परिवादी जरिये मुख्त्यारखास एसडी अनिल खरपाल

कार्यवाही पुलिस पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला अजमेर दिनांक 03.01.18 समय उपयुक्त टाईपशुदा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156(3) जाफौ में प्रार्थी अनिल खरपाल पुत्र स्व. तरसेमलाल निवासी अभियन्ता नगर गली नं. 1 वैषाली नगर अजमेर का विरूद्ध प्रेम मसीह वगैरह नफर 33 के न्यायालय श्रीमान एसीजेएम नं. 01 ब्यावर से जरिये डाक प्राप्त हुआ मजमुन इस्तगासा रिर्पोट से मामला जुर्म धारा 417, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 120बी ताहि के वकु में आना पाया जाता। दर्ज कर मन एसएचओ सुरेन्द्रसिंह सीआई मशरूफ तफतीश हुआ एसआर/एफआईआर नियमानुसार जारी की जावेगी सीसीटीएनएस में प्रविष्टी दर्ज करने पर जारी एफआईआर क्रमांक पृथक से नीचे अंकित किया जावेगा।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
SURENDRA SINGH JODHA (निरीक्षक) / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.):** **Rank**
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): SURENDRA SINGH JODHA
Rank (पद): I (Inspector)
No(सं.):

SHO
P.S. Beawar Sadar
Distt.-Ajmer (Raj.)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): अजमेर P.S. (थाना): ब्यावर सदर Year (वर्ष): 2019

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0004 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/01/2019 20:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	417
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	465
4	भा दं सं 1860	466
5	भा दं सं 1860	467
6	भा दं सं 1860	468
7	भा दं सं 1860	471
8	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/01/2019 Time (समय): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 038 Date & Time (दिनांक एवं समय) 03/01/2019 20:16:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): दक्षिण, 8 किमी Beat No. (बीट सं.) :

(b)**Address(पता):** उप पंजीयन कार्यालय, ब्यावर

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** अनील खरपाल

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** स्व. तरसेमलाल

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001

(d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अभियंता नगर गली नं 1, वैशाली नगर, क्रिश्चयनगंज, अजमेर, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	अभियंता नगर गली नं 1, वैशाली नगर, क्रिश्चयनगंज, अजमेर, राजस्थान, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष न.):**

Mobile (मोबाइल न.):

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	डॉ. इनोसदास प्रधान			1. अनुग्रह निवास,मिशन कम्पाउण्ड केडी प्रधान रोड कलीमपाोंग,अरूणाचल प्रदेश, चांगलांग,अरुणाचल प्रदेश,भारत
2	दरबारासिंह बिशप			1. बस स्टेण्ड के सामने,अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान,भारत
3	राकेश सेमुएल			1. सचिव डायोसीस,बस स्टेण्ड के सामने, अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान, भारत

4	प्रेम मसीह		पिता:रेव. रहमत मसीह	1. मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
5	जस्टिन बोनिफेस		पिता:जेएम बोनिफेस	1. बजाज नगर,जयपुर शहर (उत्तर, राजस्थान,भारत
6	पीके सामन्ता रॉय बिशप			1. अमृतसर,अमृतसर ग्रामीण,पंजाब, भारत
7	डॉ. पीसी सिंह			1. नेपियर टाउन,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत
8	डॉ. वी.ए. मालविया			1. 10,एबनेजर सोसायटी जीवराज पार्क, विजालपुर अहमदाबाद,अहमदाबाद शहर, गुजरात,भारत
9	डॉ. वी. जे. सिरवय्या			1. मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
10	वारिस मसीह			1. बस स्टेण्ड के सामने ,जयपुर रोड अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान, भारत
11	मिस्टर क्रिस्टोफर टेवरेस			1. जय स्तम्भ चौक,रायपुर,रायपुर, छत्तीसगढ़,भारत
12	पी.पी. मराण्डी बिशप			1. भागलपुर,भागलपुर,बिहार,भारत
13	अलवान मसीह			1. सीएनआई भवन 16 पण्डित मार्ग,न्यु देहली,नई दिल्ली,दिल्ली,भारत
14	युनिस मसीह			1. बिशप हाउस,सीएनआई मिशन कम्पाउण्ड,ब्राउन रोड लुधियाना, लुधियाना ग्रामीण,पंजाब,भारत
15	अविनाश कुमार			1. ईविंग क्रिश्चयन सीनियर सैकण्डरी स्कुल ब्राउन रोड,ब्राउन रोड लुधियाना, लुधियाना ग्रामीण,पंजाब,भारत
16	जोन शान्तानन्दा			1. सेन्ट मेरी चर्च एफिन्सटन पुल के नीचे, पैरल मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
17	प्रकाश पाटोले			1. होली क्रोस चर्च कम्पाउण्ड फर्स्ट फलोर 57 आर.बी. मार्ग,उमलखेडी मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
18	एडवर्ड ई. मंगजी			1. मसीह कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल, बाउण्ड्री रोड इन्दाेैर,इंदौर,मध्य प्रदेश, भारत
19	मनोज चरण			1. फर्स्ट चर्च सीएनआई शैलाना बस स्टेण्ड के पास रतलाम,रतलाम,रतलाम ,मध्य प्रदेश,भारत
20	आर.पी. टाईट्स			1. प्री बाईटर सेन्ट मार्ग चर्च छिलवाडा. छिलवाडा,छिंदवाड़ा,मध्य प्रदेश,भारत
21	सुरेश सी जैकब			1. मिशन प्रेस कम्पाउण्ड 2753 नेपियर टाउन,जबलपुर,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
22	अलीन मोहिते			1. एन आई क्यु हॉस्टल मिराज मेडिकल सेन्टर मिराज,मिराज,नवी मुंबई,महाराष्ट्र, भारत
23	संदीप राउत सांगली			1. मिशन कम्पाउण्ड,सांगली इण्डरस्ट्रीयल स्कूल राम मन्दिर के सामने,सांगली, अजमेर,राजस्थान,भारत

24	पी.एल कामले			1. बिशप हाउस,तारकपुर ओट्रन रोड अहमद नगर,अहमद नगर,अहमदाबाद ग्रामीण,गुजरात,भारत
25	संजय वागमारे			1. पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास, सारनपुर,सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
26	श्रीमति रचनासिंह			1. प्रिन्सिपल उरसुला गर्ल्स हाई स्कूल, सिविल लाईन नागपुर,नागपुर शहर, महाराष्ट्र,भारत
27	मिस्टर विजय सुतार			1. वैभव लक्ष्मी अपार्टमेन्ट,फलेट नम्बर एस ए 1 मोहन नगर,नागपुर,नागपुर शहर,महाराष्ट्र,भारत
28	एण्ड्रयु राठौड			1. 1ए जनरल भगत मार्ग लाल बंगलो, पुणे,पुणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
29	एम. यु. कसाब			1. बंगलो नम्बर 28/ए,मिशन कम्पाउण्ड, औरंगाबाद केन्ट,औरंगाबाद शहर,महाराष्ट्र, भारत
30	डॉ. लाल बहादुर कांगले			1. नूतन बसाहट अम्बाड रोड,जालना, जलना,महाराष्ट्र,भारत
31	श्री अजय धर्मराज			1. अवन्ती बाई का चौक,पंजाब नेशनल बैंक के पास लोधीपारा,रायपुर,रायपुर, छत्तीसगढ़,भारत
32	अशोक विश्वास			1. बिशप हाउस 51,चौरंगी रोड, कलकत्ता,कोलकाता उत्तर प्रभाग,पश्चिम बंगाल,भारत
33	पी.के. मित्रा			1. बिशप हाउस 51,चौरंगी रोड कलकता, कोलकाता उत्तर प्रभाग,पश्चिम बंगाल, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
   (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
   (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
    (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
    (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या -1 ब्यावर परिवाद 214/2018 युनाईटेड चर्च आफ नॉर्दन इण्डिया जरिये अनिल खरपाल पुत्र स्व. तरसेमलाल निवासी अभियन्ता नगर गली नं. 1 वैशाली नगर अजमेर मुख्तयारखास श्री सी पी भुजवल मोडरेटर निवासी क्राईस्ट चर्च 381 रास्ता पेठ पुणे (मोडरेटर युसीएनआई) अभियोगी बनामा 1.श्री प्रेम मसीह पुत्र श्री रेव. रहमत मसीह ओमेगा बिल्डिंग 19 अगस्त क्रांति मार्ग मुम्बई 400007 2. श्री जस्टिन बोनिफेस पुत्र श्री श्री जे एम बोनिफेस निवासी ए 53 विद्यालय मार्ग बजाज नगर जयपुर 3. श्री पीके सामन्ता रॉय बिषप अमृतसर डायोसिस 26,

आर.बी.प्रकाषचंद रोड अमृतसर 4. डॉ. पी सी सिंह उपमोडरेटर जबलपूर डायोसिस 2131 नेपियर टाउन जबलपुर। 5. डॉ. वी ए मालविया 10 एबेनेजर सोसायटी जीवराज पार्क विजालपुर अहमदाबाद। 6. डॉ. वी जे सिरवयया विलसन कॉलेज चोपाटी मुम्बई। 7. श्री वारिस मसीह 2/10 सी एन आई सोषल सेन्टर बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर । 8. मिस्टर क्रिस्टोफर टेवरेस गोस मेमोरियल सेन्टर जय स्तम्भ चोक रायपुर । 9. श्री पी पी मराण्डी बिषप क्राईस चर्च कम्पाउन्ड भागलपुर बिहार।10. श्री अलवान मसीह बिषप सी एन आई भवन 16 पण्डित मार्ग न्यू देहली। 11. श्री युनिस मसीह बिषप हाउस सी एन आई मिषन कम्पाउण्ड ब्राउन रोड लुधियाना।12. श्री अविनाष कुमार ईविंग क्रिष्चन सीनियर सेकण्डरी स्कूल ब्राउन रोड लुधियाना। 13.ç श्री जोन षान्तानन्दा सेन्ट मेरी चर्च एफिन्सटन पुल के नीचे परैल मुम्बई 14. श्री प्रकाष पाटोले होली क्रोस चर्च कम्पाउण्ड फर्स्ट फलोर 57 आर बी मार्ग उमल खेडी मुम्बई।15.श्री एडवर्ड ई मंगजी मसीह कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल 9ç बाउण्ड्री रोड इन्दौर 16.श्री मनोज चरण फर्स्ट चर्च सी एन.आइ.षैलाना बस स्टेण्ड के पास रतलाम 17. श्री आर पी टाईटस प्री ब्राइटर सेन्ट मार्ग चर्च छिलवाडा मध्यप्रदेष।18. श्री सुरेष सी जैकब मिषन प्रेष कम्पाउण्ड 2753 नेपियर टाउन जबलपुर 19. श्री अलीन मोहीते एन आई क्यू हॉस्टल मिराज मेडिकल सेन्टर मिराज 20. श्री संदीप राउत सांगली इण्डरस्ट्रीयल स्कूल राम मन्दिर के सामने मिषन कम्पाउण्ड सांगली 21. श्री पी एल कामले बिषप हाउस तारकपुर ओट्रन रोड अहमद नगर 22. श्री संजय वागमारे पुलिस कमिष्नर कार्यालय के पास सारनपुर 23.श्रीमती रचना सिंह प्रिंसिपल उरसुला गर्ल्स हाई स्कूल सिविल लाईन्स नागपुर।.24. मिस्टर विजय सुतार वैभव लक्ष्मी अपार्टमेन्ट फलेट नम्बर एस ए 1 मोहन नगर नागपुर। 25.श्री एण्ड्रयू राठोड 1ए जनरल भगत मार्ग लाल बंगलो पुणे। 26. श्री एम यु कसाब बंगलो नम्बर 28/ए मिषन कम्पाउण्ड ओरगांबाद केन्ट।27. डॉ लाल बहादुर कांगले नुतन बसाहट अम्बाड रोड जालना महाराष्ट्र।28 श्री अजय धर्मराज अवन्ती बाई का चोक पंजाब नेषनल बेंक के पास लौधीपारा रायपुर।29. श्री अषोक विष्वास बिषप हाउस 51 चौंरगी रोड कोलकता।30. श्री पी के मित्रा बिषप हाउस 51 चौंरगी रोड कोलकता 31. डॉ इनोसदास प्रधान अनुग्रह निवास मिषन कम्पाउण्ड केडी प्रधान रोड कलीमपोंग अरूणाचल प्रदेष।32. श्री दरबारा सिंह बिषप सी एन आई डायोसिस राजस्थान बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर। 33. श्री राकेष सेमूएल सचिव डायोसिस राजस्थान बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर।अभियुक्तगण परिवाद अन्तर्गत धारा 417,420,465,466,467,468,471,120बी भा.द.स. परिवादी माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करता है कि- 1.यह कि परिवादी संस्था एक धार्मिक संस्था है, जिसका गठन वर्ष 1924 में हुआ था और वर्ष 1970 में इसका पंजीकृत सोसायटी एक्ट के तहत हुआ था जिसका क्रमांक 28/1977-78 है। 2.यह कि चूंकि परिवादी संस्था मात्र एक सोसायटी थी, इसलिये उसने अपनी समस्त सम्पतियों को ग्रहण करने व रखरखाव के लिये एक ट्रस्टी संस्था युनाईटेड चर्च आफ नॉर्दन इण्डिया ट्रस्ट एसोषियेषन का का गठन कम्पनी एक्ट के तहत किया, जिसका क्रमांक 2912/1938-39 है। (जिसे अब आगे ट्रस्टी संस्था कहा जायेगा) 3.यह कि इसी संस्था का महाराष्ट्र सोसायटी एक्ट के प्रभाव में आने के बाद सोसायटी एक्ट में चैरेटी कमिष्नर बम्बई के यहा भी पंजीकरण करा दिया गया, जिसका क्रमांक डी97/1957 है। 4. यह कि ब्रिटिषकाल से ही ईसाई धर्म के मानने वाले लाखों व्यक्ति इस चर्च के सदस्य बने और समय समय पर इस चर्च में या तो सम्पतियां दान से प्राप्त होती रही अथवा इसका निर्माण किया जाता रहा या खरीदा गया, इस प्रकार चर्च की हजारों सम्पतियां सम्पूर्ण भारत में फैली हुई है। जिनका सम्पूर्ण नियंत्रण ट्रस्ट संस्था के जरिये चर्च के द्वारा किया जाता है। 5. यह कि राजस्थान राज्य में राजपूताना प्रेस , बिटेरियन मिषन ने दिनांक 25.02.1972 को अपनी सारी सम्पतियां जो कि राजस्थान में स्थित है। परिवादी संस्था की ट्रस्ट एसोषिएषन में दिनांक 18.03.1971 को हस्तांतरित कर दी। 6. यह कि वर्ष 1971 में 6 चर्चां द्वारा विलीनीकरण के लिये मात्र एक प्रस्ताव पास किया लेकिन आगे कोई कार्यवाही नही की इस प्रस्ताव के बाद सी.एन.आई. के पदाधिकारियों द्वारा इन चर्च के प्रोपर्टी जिसमें परिवादी संस्था की बहुत ज्यादा सम्पतियां है, लूट मचा दी और विषेषकर अभियुक्त संख्या 1 ने सी.एन.आई. के सदस्य होना बताते हुए यू.सी.एन.आई.टी.ए.के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर वर्ष 1994 से काबिज होना बताते हुए विभिन्न लोगों को पॉवर आफ अर्टोनी देते हुए अरबों रूपयों ही हजारों सम्पतियां का बेचान कर दिया। 7. यह कि सी.एन.आई.के पदाधिकारियों द्वारा इस मची लूट को देखते हुए बर्द्रन चर्च आफ यू.एस.ए. की एक शाखा फर्स्ट डिस्ट्रिक चर्च आफ नार्दन बर्द्रन ने 6 चर्चा के एकांकीकरण के लिये प्रस्तुत चेन्ज रिपोर्ट दिनांक 44 व 665 वर्ष 1981 को अहमदाबाद न्यायालय में चुनौती दी अन्त में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 8800-8801/2013 विनोद कुमार एम मालविया बनाम मंगनलाल मंगलदास गमेति जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 30.09.2013 को खारिज कर दिया तथा चर्च के विलीनीकरण के लिये यह स्पष्ट मत दिया कि - after analysing the facts and the law in the matter.we have noticed that it is the duty of the society to take steps in accordance with section 13 of the SR Act for it is dissolution We have further noted that unless the properties vested in the trust are divested in accordance with the provisions of the SR Act and in accordance with the BPTA,merely by filing the change reports,CNI can not claim a merger of churches and thereby claim that the properties vested in the Trust would vest in them In our opinion it would only be evident from the steps taken that the passing of resolution in nothing but an indication to show the

intention to merge and nothing else 8.यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि मात्र प्रस्ताव पारित करने के आधार पर 6 चर्चा का विलीनीकरण नही हुआ है और मात्र प्रस्ताव पारित करने के आधार पर सी. एन.आई. 6 चर्चा की सम्पति को अपनी सम्पति नहीं बता सकती। 9. यह कि उपरोक्त स्पष्ट निर्णय के बावजूद उपरोक्त वर्णित अभियुक्तगण एक षडयंत्र के तहत एक मत होते हुए यू.सी.एन.आई.का सी.एन.आई. में विलीनीकरण बता रहा है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहा है। 10. यह कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. के गठन के लिये चर्च के 30 सदस्य जनरल असेम्बली द्वारा भेजे जाते है लेकिन अभियुक्त संख्या 01 ने अभियुक्तगण संख्या 02 लगायत 30 के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र किया और सारे व्यक्ति जो कि सी.एन.आई. के सदस्य है और यू.सी.एन.आई. के सी.एन.आई. में विलय को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी नही मानते हुए यू.सी.एन.आई.टी.ए. का सदस्य बनाने को सहमत हुए ताकि यू.सी.एन.आई.टी.ए. की सम्पतियों की लूट की जा सके तथा उन्हें अवैध रूप से बेचान किया जा सके। 11. यह कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. के सिद्धांत से स्पष्ट है कि उसके 30 सदस्यों की नियुक्ति यू.सी.एन.आई. की जनरल एसेम्बली द्वारा की जायेगी और फिर उन्हीं सदस्यों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/ट्रेजरार का चुनाव किया जायेगा। 12. यह कि उक्त स्पष्ट प्रावधान के बाद उपरोक्त अभियुक्तगण जो कि सी.एन.आई. के सदस्य है और इस यू.सी.एन.आई.टी.ए. के मेम्बर बने और उनमें से अभियुक्त संख्या 01 उस संस्था का स्वंयभू मैनेजिंग डायरेक्टर बना हुआ है और यह एक बडा भूमाफिया है, जिसने यू.सी,एन.आई.टीए. के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बाकी सदस्यों की सी.एन.आई. से नियुक्ति दिखाते हुए सम्पतियों का बेचान जारी रखा और वास्तविक संस्था के द्वारा किये गये वैधानिक बेंचानों के विरूध जगह जगह मुकदमें दर्ज कराये गये। 13. यह कि उपरोक्त अभियुक्त संख्या 2,3,4,5,6,7,8,31 अभियुक्त संख्या 01 से आपराधिक षडयंत्र करके यू.सी.एन.आई. टी.ए. के डायरेक्टर बन गये, ताकि मनमाने प्रस्ताव पारित किये जा सके और ट्रस्ट की संस्था की सम्पतियों को अवैध रूप से बेचान किया जा सके। 14. यह कि इसी क्रम में अभियुक्त संख्या 01 के तथाकथित पावर आफ अर्टोनी अभियुक्त संख्या 02 ने ब्यावर में 4 मुकदमें दर्ज कराये, जिसकी प्रथम ईत्तला सूचना 29/2018 थाना ब्यावर सदर है, जिसका माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसका मुकदमा नम्बर 468/2018 है। 15. यह कि मुकदमें की तफतीष के दौरान जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये वह पूर्ण रूप से कुटरचित है। अभियुक्त संख्या 02 ने जो पॉवर आफ अर्टोनी प्रस्तुत की वह दिनांक 22.10.2017 को ही समाप्त हो चुकी थी और इस मुकदमें को प्रस्तुत करने की तारीख पर उनकी पावर आफ अर्टोनी ही समाप्त हो गई थी, इस प्रकार उक्त पावर आफ अर्टोनी भी कूटरचित है। 16. यह कि उक्त पावर आफ अर्टोनी तथाकथित रूप से प्रोपर्टी कमेटी यू.सी.एन.आई.टी.ए. के प्रस्ताव के द्वारा की की गई है तथा वी एम मालवीया व वीजे सिरवया द्वारा निष्पादित की गई है जिसमें अभियुक्त संख्या 1 गवाह है। उक्त पावर आफ अर्टोनी पूर्णरूप से फर्जी है क्योंकी अभियुक्त संख्या 1 तथा अभियुक्त संख्या 5 तथा अभियुक्त संख्या 6 तीनों ही यू.सी.एन.आई. के सदस्य नही है तथा अभियुक्त संख्या 1 उक्त ट्रस्ट संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर भी नही है बल्कि सी.एन.आई. के सदस्य है, इस प्रकार उक्त पावर आफ अर्टोनी भी कूटरचित है। 17. यह कि इस तफतीष के दौरान अभियुक्त संख्या 1 ने दिनांक 29.04.2018 को एक पत्र थाना प्रभारी अधिकारी को लिखकर यह सूचित किया है कि उन्होने बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर यू.सी.एन.आई.टी.ए. अभियुक्त संख्या 2 को पावर आफ अर्टोनी नियुक्त कर रखा है उन्होने यह पत्र यू.सी.एन.आई.टी.ए. के मैनेजिंग डायरेक्टर के बतौर हस्ताक्षर किये है लेकिन वह मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नही है इस प्रकार उक्त पत्र भी कूटरचित है। 18 यह कि कम्पनी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को भारत की किसी भी कम्पनी ने डायरेक्टर बनने के लिये डिनDIN नम्बर लेना पडता है उसके बिना कोई भी व्यक्ति भारत की किसी भी कम्पनी में डायरेक्टर नही बन सकता है तथा एक व्यक्ति को एक ही डिन DIN नम्बर आवंटित होता है, चाहे वह कितनी भी कम्पनी में डायरेक्टर क्यों ना बने उसका डिन DIN नम्बर एक ही रहेगा। 19. यह कि अभियुक्त संख्या 1 ने कम्पनी मंत्रालय से छल करके दो डिन DIN नम्बर आवंटित कराये, जिसमें एक में उसका नाम प्रेम मसीह बताया गया है जिसका डिन DIN नम्बर 788353 है और दूसरा डिन DIN नम्बर प्रेम रहमत मसीह के नाम से जिसका डिन DIN नम्बर 00711699 है। 20. यह कि कम्पनी मंत्रालय द्वारा जब अभियुक्त संख्या 1 के उपरोक्त छल को पकडा गया तो उन्होने अपने आदेष दिनांक 21.05.2015 से अभियुक्त संख्या 1 द्वारा लिये गये द्वितीय DIN नम्बर 00788353 को समाप्त कर दिया। ज्ञातव्य रहे कि उक्त DIN नम्बर ही अभियुक्त संख्या 1 को तथाकथित रूप से प्रेम मसीह के नाम से आवंटित हुआ था। अभियुक्त संख्या 1 के पास ना तो पहले ना अब इस नाम का कोई DIN नम्बर मौजूद है और वह भारत के किसी भी कम्पनी में इस नाम से डायरेक्टर नही बन सकता। 21. यह कि दूसरा DIN नम्बर 00711699 प्रेम रहमत मसीह के नाम से जारी हुआ और उसे भी कम्पनी मंत्रालय ने दिनांक 01.11.2016 से 31.10.2021 तक के लिये निलंम्बित कर दिया है। ज्ञातव्य रहे कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. में कभी भी प्रेम रहमत मसीह नाम का कोई व्यक्ति नही रहा है और प्रेम मसीह के नाम से जो DIN नम्बर प्राप्त हुआ था उसे कॉरपोरेट मंत्रालय ने समाप्त कर दिया। 22.यह कि इससे स्पष्ट है कि दिनांक 08.01.2018 को जब अभियुक्त संख्या 2 ने बतौर पावर आफ अर्टोनी होल्डर अभियुक्त संख्या 1 के इस्तगासा प्रस्तुत किया उस दिन उनके पास कोई पॉवर ऑफ अर्टोनी नही थी जो पावर आफ अर्टोनी उन्होने प्रस्तुत की है वह समाप्त हो चुकी थी और उन्होने यह जानते हुए भी उसे तफतीष में पेष किया साथ ही अभियुक्त संख्या 1 ने जो पत्र लिखा कि उन्होने अभियुक्त संख्या 2 को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पॉवर आफ अर्टोनी दी है वह भी कूटरचित है। क्योंकी उस तारीख को

अभियुक्त संख्या 1 भारत की किसी भी कम्पनी में डायरेक्टर नही थे और हो भी नही सकते थे। क्योंकी उनके पास तो कोई DIN नम्बर ही नही था। 23. यह कि इसी तफतीष के दौरान अभियुक्त संख्या 1 ने कम्पनी मंत्रालय में दिनांक 07.04.2017 को वार्षिक रिर्टन प्रस्तुत करी उसमें अभियुक्त संख्या 3 लगायत 31 बतौर सदस्य दर्षाये हुए है और अभियुक्त संख्या 3,4,5,6,7,8,31 बतौर डायरेक्टर दर्षाये हुए है और इन्होने अभियुक्त संख्या 1 को उक्त रिर्टन भरने की सहमति दे रखी है। उक्त वार्षिक रिर्टन भी कूटरचित है और तफतीष अधिकारी से मिलकर तफतीष में प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिपोर्ट को पेज नम्बर 5 पर प्रेम रहमत मसीह DIN नम्बर 00711699 बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर दस्तख्त किये है लेकिन जो लिस्ट डायरेक्टर के साथ में संलग्न है उसमें उनका नाम प्रेम मसीह दर्षाया गया है और प्रेम मसीह के पास कोई DIN नम्बर ही नही है, वह डायरेक्टर हो ही नही सकते और उन्होने प्रेम रहमत मसीह का जो DIN नम्बर काम मे लिया वह कारपेरेट मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.11.2016 से पॉच वर्ष के लिये निलम्बित किया हुआ है। 24. यह कि इस प्रकार वार्षिक रिपोर्ट जो कूटरचित है इस तफतीष में इसलिये प्रस्तुत की गई कि यह बताया जा सके कि अभियुक्त संख्या 1 यू.सी.एन.आई.टी.ए. का मैनेजिग डायरेक्टर है और इस षडयंत्र में अभियुक्त संख्या 1 लगायत 31 शामिल है। क्योंकी उन सबको मालूम है कि अभियुक्त संख्या 1 के पास DIN नम्बर ही नही है और जो प्रेम रहमत मसीह का जो DIN नम्बर वह काम में ले रहे है वह भी निलम्बित है इस प्रकार इन समस्त अभियुक्तगण 1 लगायत 31 ने आपरधिक षडयंत्र रचकर कूटरचित रिपोर्ट कारपोरेट मंत्रालय में प्रस्तुत की और फिर उसी को सत्य दर्षाते हुए इस तफतीष में प्रस्तुत की। 25. यह कि प्रथम ईत्तला सूचना के अभियुक्त श्री सागर अल्फ्रेड व श्री रूबीन सतीष रायडु ने तफतीष के दौरान यह सारे तथ्य तफतीष अधिकारी के ध्यान में ला दिये थे और उन्होने कागजात भी दिये थे लेकिन उन्होने जानबूझकर अभियुक्तगण को गिरफतार करने की नियत से उक्त सारे दस्तावेज जांच पत्रावली में शामिल नही किये। 26. यह कि इस प्रकरण के अभियुक्त सागर अल्फ्रेड की जमानत की याचिका संख्या 12824/2018 जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में आई, तब अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त सारे दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। न्यायालय के न्यायाधिपति द्वारा उक्त दस्तावेजों की सत्यता को जांचने के लिये ब्यावर सदर के सी.आई. को आदेषित किया गया उन्होने 10 दिन का समय मॉगा और फिर न्यायालय में दिनांक 12.11.2018 को उपस्थित होकर यह स्वीकार किया कि यह दस्तावेज वास्तविक एंव सही है। तब माननीय न्यायाधिपति द्वारा उनसे एक प्रष्न पूछा गया कि जब यह दस्तावेज सही है तो अभियुक्त को कैसे गिरफतार किया गया उसका वह जवाब नही दे सके और फिर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेष दिये गये। 27.यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रथम ईत्तला सूचना बिना किसी क्षेत्र अधिकारिता के गलत व्यक्ति द्वारा कूटरचित आधारों पर प्रस्तुत की गई है। 28. यह कि अभियुक्त संख्या 32 जो कि तथाकथित रूप से राजस्थान डायसिस का बिषप है और उसे भी अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पावर आफ अर्टोनी दी गई है उन्हे भी यह मालूम है कि अभियुक्त संख्या 1 किसी भी संस्था में डायरेक्टर के पद पर नही है। फिर भी उन्होने उक्त कूटरचित पावर आफ अर्टोनी का दुरूपयोग करते हुए इस एफ.आई.आर. से सम्बधित सम्पति पर आकर खरीददार को खुलेआम धमकी दी कि मेरा नाम दरबारा सिह है मै प्रेम मसीह का पावर आफ अर्टोनी होल्डर हॅू और मौजूदा लोगों को गंम्भीर अंजाम भुगतने की धमकी दी मजदूरों को भगा दिया, वहा पर पडे सामान को एक जीप में भरकर कही भिजवा दिया इस प्रकार अभियुक्त संख्या 32 भी अभियुक्त संख्या 1 के साथ षडयंत्र में शामिल है और उसके द्वारा दी गई कूटरचित पावर आफ अर्टोनी का दुरूपयोग कर रहा है। 29. यह कि उपरोक्त प्रकार से इन सभी अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 417,420,465,466,467,468,471,120बी के अपराध किये। परिवादी ने इस संबध में थाना ब्यावर सदर के अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके रिपोर्ट देनी चाही तो उन्होने नही ली जिस पर उन्हे उक्त रिपोर्ट डाक द्वारा भेजी गई है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नही हुई। इसलिये माननीय न्यायालय में यह इस्तगासा प्रस्तुत किया जा रहा है। 30. यह कि इस प्रकरण की तफतीष पुलिस से कराया जाना अति आवष्यक है क्योंकी सारे ही अभियुक्तगण से तफतीष की जाकर वांछित दस्तावेज की बरामदगी की जा सके और न्यायालय में प्रस्तुत की जा सके। अत निवेदन है कि प्रकरण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3)के तहत थाना ब्यावर सदर ब्यावर में तफतीष हेतु भेजा जाये और बाद अनवीक्षा अभियुक्तगण को दण्डित किया जाये। ब्यावर दिनांक 10/12/18 परिवादी जरिये मुख्त्यारखास एसडी अनिल खरपाल

कार्यवाही पुलिस पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला अजमेर दिनांक 03.01.18 समय उपयुक्त टाईपशुदा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156(3) जाफौ में प्रार्थी अनिल खरपाल पुत्र स्व. तरसेमलाल निवासी अभियन्ता नगर गली नं. 1 वैषाली नगर अजमेर का विरूद्ध प्रेम मसीह वगैरह नफर 33 के न्यायालय श्रीमान एसीजेएम नं. 01 ब्यावर से जरिये डाक प्राप्त हुआ मजमुन इस्त्गासा रिर्पोट से मामला जुर्म धारा 417, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 120बी ताहि के वकु में आना पाया जाता। दर्ज कर मन एसएचओ सुरेन्द्रसिंह सीआई मशरूफ तफतीश हुआ एसआर/एफआईआर नियमानुसार जारी की जावेगी सीसीटीएनएस में प्रविष्टी दर्ज करने पर जारी एफआईआर क्रमांक पृथक से नीचे अंकित किया जावेगा।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
SURENDRA SINGH JODHA (निरीक्षक) / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.):** **Rank**
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): SURENDRA SINGH JODHA
Rank (पद): I (Inspector)
No(सं.):

SHO
P.S. Beawar Sadar
Distt.-Ajmer (Raj.)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** अजमेर **P.S. (थाना):** ब्यावर सदर **Year (वर्ष):** 2019

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0005 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/01/2019 20:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	417
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	465
4	भा दं सं 1860	466
5	भा दं सं 1860	467
6	भा दं सं 1860	468
7	भा दं सं 1860	471
8	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** **Date From (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/01/2019 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 039 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/01/2019 20:32:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** दक्षिण, 8 किमी **Beat No. (बीट सं.) :**

(b)Address(पता): उप पंजीयन कार्यालय, ब्यावर

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): अनील खरपाल

(b) Father's Name (पिता का नाम): स्व. तरसेमलाल

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 2001

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अभियंता नगर गली नं 1, वैशाली नगर, क्रिश्चयनगंज, अजमेर, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	अभियंता नगर गली नं 1, वैशाली नगर, क्रिश्चयनगंज, अजमेर, राजस्थान, भारत

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	डॉ. इनोसदास प्रधान			1. अनुग्रह निवास,मिशन कम्पाउण्ड केडी प्रधान रोड कलीमपाेंग,अरूणाचल प्रदेश, चांगलांग,अरुणाचल प्रदेश,भारत
2	दरबारासिंह बिशप			1. बस स्टेण्ड के सामने,अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान,भारत
3	राकेश सेमुएल			1. सचिव डायोसीस,बस स्टेण्ड के सामने, अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान, भारत

4	प्रेम मसीह		पिता:रेव. रहमत मसीह	1. मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
5	जस्टिन बोनिफेस		पिता:जेएम बोनिफेस	1. बजाज नगर,जयपुर शहर (उत्तर, राजस्थान,भारत
6	पीके सामन्ता रॉय बिशप			1. अमृतसर,अमृतसर ग्रामीण,पंजाब, भारत
7	डॉ. पीसी सिंह			1. नेपियर टाउन,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत
8	डॉ. वी.ए. मालविया			1. 10,एबनेजर सोसायटी जीवराज पार्क, विजालपुर अहमदाबाद,अहमदाबाद शहर, गुजरात,भारत
9	डॉ. वी. जे. सिरंवय्या			1. मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
10	वारिस मसीह			1. बस स्टेण्ड के सामने ,जयपुर रोड अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान, भारत
11	मिस्टर क्रिस्टोफर टेवरेस			1. जय स्तम्भ चौक,रायपुर,रायपुर, छत्तीसगढ़,भारत
12	पी.पी. मराण्डी बिशप			1. भागलपुर,भागलपुर,बिहार,भारत
13	अलवान मसीह			1. सीएनआई भवन 16 पण्डित मार्ग,न्यु देहली,नई दिल्ली,दिल्ली,भारत
14	युनिस मसीह			1. बिशप हाउस,सीएनआई मिशन कम्पाउण्ड,ब्राउन रोड लुधियाना, लुधियाना ग्रामीण,पंजाब,भारत
15	अविनाश कुमार			1. ईविंग क्रिश्चयन सीनियर सैकण्डरी स्कुल ब्राउन रोड,ब्राउन रोड लुधियाना, लुधियाना ग्रामीण,पंजाब,भारत
16	जोन शान्तानन्दा			1. सेन्ट मेरी चर्च एफिन्सटन पुल के नीचे, पैरल मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
17	प्रकाश पाटोले			1. होली क्रोस चर्च कम्पाउण्ड फर्स्ट फलोर 57 आर.बी. मार्ग,उमलखेडी मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
18	एडवर्ड ई. मंगजी			1. मसीह कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल, बाउण्ड्री रोड इन्दाौर,इंदौर,मध्य प्रदेश, भारत
19	मनोज चरण			1. फर्स्ट चर्च सीएनआई शैलाना बस स्टेण्ड के पास रतलाम,रतलाम,रतलाम ,मध्य प्रदेश,भारत
20	आर.पी. टाईट्स			1. प्री बाईटर सेन्ट मार्ग चर्च छिलवाडा, छिलवाडा,छिंदवाड़ा,मध्य प्रदेश,भारत
21	सुरेश सी जैकब			1. मिशन प्रेस कम्पाउण्ड 2753 नेपियर टाउन,जबलपुर,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
22	अलीन मोहिते			1. एन आई क्यु हॉस्टल मिराज मेडिकल सेन्टर मिराज,मिराज,नवी मुंबई,महाराष्ट्र, भारत
23	संदीप राउत सांगली			1. मिशन कम्पाउण्ड,सांगली इण्डरस्ट्रीयल स्कूल राम मन्दिर के सामने,सांगली, अजमेर,राजस्थान,भारत

24	पी.एल कामले			1. बिशप हाउस,तारकपुर ओट्रन रोड अहमद नगर,अहमद नगर,अहमदाबाद ग्रामीण,गुजरात,भारत
25	संजय वागमारे			1. पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास, सारनपुर,सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
26	श्रीमति रचनासिंह			1. प्रिन्सिपल उरसुला गर्ल्स हाई स्कूल, सिविल लाईन नागपुर,नागपुर शहर, महाराष्ट्र,भारत
27	मिस्टर विजय सुतार			1. वैभव लक्ष्मी अपार्टमेन्ट,फलेट नम्बर एस ए 1 मोहन नगर,नागपुर,नागपुर शहर,महाराष्ट्र,भारत
28	एण्ड्रयु राठौड			1. 1ए जनरल भगत मार्ग लाल बंगलो, पुणे,पुणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
29	एम. यु. कसाब			1. बंगलो नम्बर 28/ए,मिशन कम्पाउण्ड, औरंगाबाद केन्ट,औरंगाबाद शहर,महाराष्ट्र, भारत
30	डॉ. लाल बहादुर कांगले			1. नूतन बसाहट अम्बाड रोड,जालना, जलना,महाराष्ट्र,भारत
31	श्री अजय धर्मराज			1. अवन्ती बाई का चौक,पंजाब नेशनल बैंक के पास लोधीपारा,रायपुर,रायपुर, छत्तीसगढ़,भारत
32	अशोक विश्वास			1. बिशप हाउस 51,चौरंगी रोड, कलकत्ता,कोलकाता उत्तर प्रभाग,पश्चिम बंगाल,भारत
33	पी.के. मित्रा			1. बिशप हाउस 51,चौरंगी रोड कलकता, कोलकाता उत्तर प्रभाग,पश्चिम बंगाल, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या -1 ब्यावर परिवाद 215/2018 युनाईटेड चर्च आफ नॉर्दन इण्डिया जरिये अनिल खरपाल पुत्र स्व. तरसेमलाल निवासी अभियन्ता नगर गली नं. 1 वैषाली नगर अजमेर मुख्तयारखास श्री सी पी भुजवल मोडरेटर निवासी क्राईस्ट चर्च 381 रास्ता पेठ पुणे (मोडरेटर युसीएनआई) अभियोगी बनामा 1.श्री प्रेम मसीह पुत्र श्री रेव. रहमत मसीह ओमेगा बिल्डिंग 19 अगस्त क्रांति मार्ग मुम्बई 400007 2. श्री जस्टिन बोनिफेस पुत्र श्री श्री जे एम बोनिफेस निवासी ए 53 विद्यालय मार्ग बजाज नगर जयपुर 3. श्री पीके सामन्ता रॉय बिषप अमृतसर डायोसिस 26,

आर.बी.प्रकाषचंद रोड अमृतसर 4. डॉ. पी सी सिंह उपमोडरेटर जबलपूर डायोसिस 2131 नेपियर टाउन जबलपुर। 5. डॉ. वी ए मालविया 10 एबेनेजर सोसायटी जीवराज पार्क विजालपुर अहमदाबाद। 6. डॉ. वी जे सिरवयया विलसन कॉलेज चोपाटी मुम्बई। 7. श्री वारिस मसीह 2/10 सी एन आई सोषल सेन्टर बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर । 8. मिस्टर क्रिस्टोफर टेवरेस गोस मेमोरियल सेन्टर जय स्तम्भ चोक रायपुर । 9. श्री पी पी मराण्डी बिषप क्राईस चर्च कम्पाउन्ड भागलपुर बिहार।10. श्री अलवान मसीह बिषप सी एन आई भवन 16 पण्डित मार्ग न्यू देहली। 11. श्री युनिस मसीह बिषप हाउस सी एन आई मिषन कम्पाउण्ड ब्राउन रोड लुधियाना।12. श्री अविनाष कुमार ईविंग क्रिष्चन सीनियर सेकण्डरी स्कूल ब्राउन रोड लुधियाना। 13.० श्री जोन षान्तानन्दा सेन्ट मेरी चर्च एफिन्सटन पुल के नीचे परैल मुम्बई 14. श्री प्रकाष पाटोले होली क्रोस चर्च कम्पाउण्ड फर्स्ट फलोर 57 आर बी मार्ग उमल खेडी मुम्बई।15.श्री एडवर्ड ई मंगजी मसीह कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल 9० बाउण्ड्री रोड इन्दौर 16.श्री मनोज चरण फर्स्ट चर्च सी एन.आइ.षैलाना बस स्टेण्ड के पास रतलाम 17. श्री आर पी टाईटस प्री ब्राइटर सेन्ट मार्ग चर्च छिलवाडा मध्यप्रदेष।18. श्री सुरेष सी जैकब मिषन प्रेष कम्पाउण्ड 2753 नेपियर टाउन जबलपुर 19. श्री अलीन मोहीते एन आई क्यू हॉस्टल मिराज मेडिकल सेन्टर मिराज 20. श्री संदीप राउत सांगली इण्डरस्ट्रीयल स्कूल राम मन्दिर के सामने मिषन कम्पाउण्ड सांगली 21. श्री पी एल कामले बिषप हाउस तारकपुर ओट्रन रोड अहमद नगर 22. श्री संजय वागमारे पुलिस कमिष्नर कार्यालय के पास सारनपुर 23.श्रीमती रचना सिंह प्रिंसिपल उरसुला गर्ल्स हाई स्कूल सिविल लाईन्स नागपुर।.24. मिस्टर विजय सुतार वैभव लक्ष्मी अपार्टमेन्ट फलेट नम्बर एस ए 1 मोहन नगर नागपुर। 25.श्री एण्ड्रयू राठोड 1ए जनरल भगत मार्ग लाल बंगलो पुणे। 26. श्री एम यु कसाब बंगलो नम्बर 28/ए मिषन कम्पाउण्ड ओरगांबाद केन्ट।27. डॉ लाल बहादुर कांगले नुतन बसाहट अम्बाड रोड जालना महाराष्ट।28 श्री अजय धर्मराज अवन्ती बाई का चोक पंजाब नेषनल बेंक के पास लौधीपारा रायपुर।29. श्री अषोक विष्वास बिषप हाउस 51 चौंरगी रोड कोलकता।30. श्री पी के मित्रा बिषप हाउस 51 चौंरगी रोड कोलकता 31. डॉ इनोसदास प्रधान अनुग्रह निवास मिषन कम्पाउण्ड केडी प्रधान रोड कलीमपोंग अरूणाचल प्रदेष।32. श्री दरबारा सिंह बिषप सी एन आई डायोसिस राजस्थान बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर। 33. श्री राकेष सेमूएल सचिव डायोसिस राजस्थान बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर।अभियुक्तगण परिवाद अन्तर्गत धारा 417,420,465,466,467,468,471,120बी भा.द.स. परिवादी माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करता है कि- 1.यह कि परिवादी संस्था एक धार्मिक संस्था है, जिसका गठन वर्ष 1924 में हुआ था और वर्ष 1970 में इसका पंजीकृत सोसायटी एक्ट के तहत हुआ था जिसका क्रमांक 28/1977-78 है। 2.यह कि चूंकि परिवादी संस्था मात्र एंक सोसायटी थी, इसलिये उसने अपनी समस्त सम्पतियों को ग्रहण करने व रखरखाव के लिये एक ट्रस्टी संस्था युनाईटेड चर्च आफ नॉर्दन इण्डिया ट्रस्ट एसोषियेषन का का गठन कम्पनी एक्ट के तहत किया, जिसका क्रमांक 2912/1938-39 है। (जिसे अब आगे ट्रस्टी संस्था कहा जायेगा) 3.यह कि इसी संस्था का महाराष्ट्र सोसायटी एक्ट के प्रभाव में आने के बाद सोसायटी एक्ट में चैरेटी कमिष्नर बम्बई के यहा भी पंजीकरण करा दिया गया, जिसका क्रमांक डी97/1957 है। 4. यह कि ब्रिटिषकाल से ही ईसाई धर्म के मानने वाले लाखों व्यक्ति इस चर्च के सदस्य बने और समय समय पर इस चर्च में या तो सम्पतियां दान से प्राप्त होती रही अथवा इसका निर्माण किया जाता रहा या खरीदा गया, इस प्रकार चर्च की हजारों सम्पतियां सम्पूर्ण भारत में फैली हुई है। जिनका सम्पूर्ण नियंत्रण ट्रस्ट संस्था के जरिये चर्च के द्वारा किया जाता है। 5. यह कि राजस्थान राज्य में राजपूताना प्रेस बिटेरियन मिषन ने दिनांक 25.02.1972 को अपनी सारी सम्पतियां जो कि राजस्थान में स्थित है। परिवादी संस्था की ट्रस्ट एसोषिएषन में दिनांक 18.03.1971 को हस्तांतरित कर दी। 6. यह कि वर्ष 1971 में 6 चर्चों द्वारा विलीनीकरण के लिये मात्र एक प्रस्ताव पास किया लेकिन आगे कोई कार्यवाही नही की इस प्रस्ताव के बाद सी.एन.आई. के पदाधिकारियों द्वारा इन चर्च के प्रोपर्टी जिसमें परिवादी संस्था की बहुत ज्यादा सम्पतियां है, लूट मचा दी और विषेषकर अभियुक्त संख्या 1 ने सी.एन.आई. के सदस्य होना बताते हुए यू.सी.एन.आई.टी.ए.के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर वर्ष 1994 से काबिज होना बताते हुए विभिन्न लोगों को पॉवर आफ अर्टोनी देते हुए अरबों रूपयों ही हजारों सम्पतियां का बेचान कर दिया। 7. यह कि सी.एन.आई.के पदाधिकारियों द्वारा इस मची लूट को देखते हुए बर्द्रन चर्च आफ यू.एस.ए. की एक शाखा फर्स्ट डिस्ट्रिक चर्च आफ नार्दन बर्द्रन ने 6 चर्चा के एकांकीकरण के लिये प्रस्तुत चेन्ज रिपोर्ट दिनांक 44 व 665 वर्ष 1981 को अहमदाबाद न्यायालय में चुनौती दी अन्त में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 8800-8801/2013 विनोद कुमार एम मालविया बनाम मंगनलाल मंगलदास गमेति जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 30.09.2013 को खारिज कर दिया तथा चर्च के विलीनीकरण के लिये यह स्पष्ट मत दिया कि - after analysing the facts and the law in the matter.we have noticed that it is the duty of the society to take steps in accordance with section 13 of the SR Act for it is dissolution We have further noted that unless the properties vested in the trust are divested in accordance with the provisions of the SR Act and in accordance with the BPTA,merely by filing the change reports,CNI can not claim a merger of churches and thereby claim that the properties vested in the Trust would vest in them In our opinion it would only be evident from the steps taken that the passing of resolution in nothing but an indication to show the

intention to merge and nothing else 8.यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि मात्र प्रस्ताव पारित करने के आधार पर 6 चर्चा का विलीनीकरण नही हुआ है और मात्र प्रस्ताव पारित करने के आधार पर सी.एन.आई. 6 चर्चा की सम्पति को अपनी सम्पति नहीं बता सकती। 9. यह कि उपरोक्त स्पष्ट निर्णय के बावजूद उपरोक्त वर्णित अभियुक्तगण एक षडयंत्र के तहत एक मत होते हुए यू.सी.एन.आई.का सी.एन.आई. में विलीनीकरण बता रहा है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहा है। 10. यह कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. के गठन के लिये चर्च के 30 सदस्य जनरल असेम्बली द्वारा भेजे जाते है लेकिन अभियुक्त संख्या 01 ने अभियुक्तगण संख्या 02 लगायत 30 के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र किया और सारे व्यक्ति जो कि सी.एन.आई. के सदस्य है और यू.सी.एन.आई. के सी.एन.आई. में विलय को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी नही मानते हुए यू.सी.एन.आई.टी.ए. का सदस्य बनाने को सहमत हुए ताकि यू.सी.एन.आई.टी.ए. की सम्पतियों की लूट की जा सके तथा उन्हें अवैध रूप से बेचान किया जा सके। 11. यह कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. के सिद्धांत से स्पष्ट है कि उसके 30 सदस्यों की नियुक्ति यू.सी.एन.आई. की जनरल एसेम्बली द्वारा की जायेगी और फिर उन्हीं सदस्यों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/ट्रेजरार का चुनाव किया जायेगा। 12. यह कि उक्त स्पष्ट प्रावधान के बाद उपरोक्त अभियुक्तगण जो कि सी.एन.आई. के सदस्य है और इस यू.सी.एन.आई.टी.ए. के मेम्बर बने और उनमें से अभियुक्त संख्या 01 उस संस्था का स्वंयभू मैनेजिंग डायरेक्टर बना हुआ है और यह एक बडा भूमाफिया है, जिसने यू.सी.एन.आई.टीए. के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बाकी सदस्यों की सी.एन.आई. से नियुक्ति दिखाते हुए सम्पतियों का बेचान जारी रखा और वास्तविक संस्था के द्वारा किये गये वैधानिक बेंचानों के विरूध जगह जगह मुकदमें दर्ज कराये गये। 13. यह कि उपरोक्त अभियुक्त संख्या 2,3,4,5,6,7,8,31 अभियुक्त संख्या 01 से आपराधिक षडयंत्र करके यू.सी.एन.आई.टी.ए. के डायरेक्टर बन गये, ताकि मनमाने प्रस्ताव पारित किये जा सके और ट्रस्ट की संस्था की सम्पतियों को अवैध रूप से बेचान किया जा सके। 14. यह कि इसी क्रम में अभियुक्त संख्या 01 के तथाकथित पावर आफ अर्टोनी अभियुक्त संख्या 02 ने ब्यावर में 4 मुकदमें दर्ज कराये, जिसकी प्रथम ईत्तला सूचना 27/2018 थाना ब्यावर सदर है, जिसका माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसका मुकदमा नम्बर 469/2018 है। 15. यह कि मुकदमें की तफतीष के दौरान जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये वह पूर्ण रूप से कुटरचित है। अभियुक्त संख्या 02 ने जो पॉवर आफ अर्टोनी प्रस्तुत की वह दिनांक 22.10.2017 को ही समाप्त हो चुकी थी और इस मुकदमें को प्रस्तुत करने की तारीख पर उनकी पावर आफ अर्टोनी ही समाप्त हो गई थी, इस प्रकार उक्त पावर आफ अर्टोनी भी कूटरचित है। 16. यह कि उक्त पावर आफ अर्टोनी तथाकथित रूप से प्रोपर्टी कमेटी यू.सी.एन.आई.टी.ए. के प्रस्ताव के द्वारा की की गई है तथा वी एम मालवीया व वीजे सिरवया द्वारा निष्पादित की गई है जिसमें अभियुक्त संख्या 1 गवाह है। उक्त पावर आफ अर्टोनी पूर्णरूप से फर्जी है क्योंकी अभियुक्त संख्या 1 तथा अभियुक्त संख्या 5 तथा अभियुक्त संख्या 6 तीनों ही यू.सी.एन.आई. के सदस्य नही है तथा अभियुक्त संख्या 1 उक्त ट्रस्ट संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर भी नही है बल्कि सी.एन.आई. के सदस्य है, इस प्रकार उक्त पावर आफ अर्टोनी भी कूटरचित है। 17. यह कि इस तफतीष के दौरान अभियुक्त संख्या 1 ने दिनांक 29.04.2018 को एक पत्र थाना प्रभारी अधिकारी को लिखकर यह सूचित किया है कि उन्होने बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर यू.सी.एन.आई.टी.ए. अभियुक्त संख्या 2 को पावर आफ अर्टोनी नियुक्त कर रखा है उन्होने यह पत्र यू.सी.एन.आई.टी.ए. के मैनेजिंग डायरेक्टर के बतौर हस्ताक्षर किये है लेकिन वह मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नही है इस प्रकार उक्त पत्र भी कूटरचित है। 18 यह कि कम्पनी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को भारत की किसी भी कम्पनी ने डायरेक्टर बनने के लिये डिनDIN नम्बर लेना पडता है उसके बिना कोई भी व्यक्ति भारत की किसी भी कम्पनी में डायरेक्टर नही बन सकता है तथा एक व्यक्ति को एक ही डिन DIN नम्बर आवंटित होता है, चाहे वह कितनी भी कम्पनी में डायरेक्टर क्यों ना बने उसका डिन DIN नम्बर एक ही रहेगा। 19. यह कि अभियुक्त संख्या 1 ने कम्पनी मंत्रालय से छल करके दो डिन DIN नम्बर आवंटित कराये, जिसमें एक में उसका नाम प्रेम मसीह बताया गया है जिसका डिन DIN नम्बर 788353 है और दूसरा डिन DIN नम्बर प्रेम रहमत मसीह के नाम से जिसका डिन DIN नम्बर 00711699 है। 20. यह कि कम्पनी मंत्रालय द्वारा जब अभियुक्त संख्या 1 के उपरोक्त छल को पकडा गया तो उन्होने अपने आदेष दिनांक 21.05.2015 से अभियुक्त संख्या 1 द्वारा लिये गये द्वितीय DIN नम्बर 00788353 को समाप्त कर दिया। ज्ञातव्य रहे कि उक्त DIN नम्बर ही अभियुक्त संख्या 1 को तथाकथित रूप से प्रेम मसीह के नाम से आवंटित हुआ था। अभियुक्त संख्या 1 के पास ना तो पहले ना अब इस नाम का कोई DIN नम्बर मौजूद है और वह भारत के किसी भी कम्पनी में इस नाम से डायरेक्टर नही बन सकता। 21. यह कि दूसरा DIN नम्बर 00711699 प्रेम रहमत मसीह के नाम से जारी हुआ और उसे भी कम्पनी मंत्रालय ने दिनांक 01.11.2016 से 31.10.2021 तक के लिये निलंम्बित कर दिया है। ज्ञातव्य रहे कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. में कभी भी प्रेम रहमत मसीह नाम का कोई व्यक्ति नही रहा है और प्रेम मसीह के नाम से जो DIN नम्बर प्राप्त हुआ था उसे कॉरपोरेट मंत्रालय ने समाप्त कर दिया। 22.यह कि इससे स्पष्ट है कि दिनांक 08.01.2018 को जब अभियुक्त संख्या 2 ने बतौर पावर आफ अर्टोनी होल्डर अभियुक्त संख्या 1 के इस्तगासा प्रस्तुत किया उस दिन उनके पास कोई पॉवर ऑफ अर्टोनी नही थी जो पावर आफ अर्टोनी उन्होने प्रस्तुत की है वह समाप्त हो चुकी थी और उन्होने यह जानते हुए भी उसे तफतीष में पेष किया साथ ही अभियुक्त संख्या 1 ने जो पत्र लिखा कि उन्होने अभियुक्त संख्या 2 को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पॉवर आफ अर्टोनी दी है वह भी कूटरचित है। क्योंकी उस तारीख को

अभियुक्त संख्या 1 भारत की किसी भी कम्पनी में डायरेक्टर नही थे और हो भी नही सकते थे। क्योंकी उनके पास तो कोई DIN नम्बर ही नही था। 23. यह कि इसी तफतीष के दौरान अभियुक्त संख्या 1 ने कम्पनी मंत्रालय में दिनांक 07.04.2017 को वार्षिक रिर्टन प्रस्तुत करी उसमें अभियुक्त संख्या 3 लगायत 31 बतौर सदस्य दर्षाये हुए है और अभियुक्त संख्या 3,4,5,6,7,8,31 बतौर डायरेक्टर दर्षाये हुए है और इन्होने अभियुक्त संख्या 1 को उक्त रिर्टन भरने की सहमति दे रखी है। उक्त वार्षिक रिर्टन भी कूटरचित है और तफतीष अधिकारी से मिलकर तफतीष में प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिपोर्ट को पेज नम्बर 5 पर प्रेम रहमत मसीह DIN नम्बर 00711699 बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर दस्तख्त किये है लेकिन जो लिस्ट डायरेक्टर के साथ में संलग्न है उसमें उनका नाम प्रेम मसीह दर्षाया गया है और प्रेम मसीह के पास कोई DIN नम्बर ही नही है, वह डायरेक्टर हो ही नही सकते और उन्होने प्रेम रहमत मसीह का जो DIN नम्बर काम मे लिया वह कारपेरेट मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.11.2016 से पॉच वर्ष के लिये निलम्बित किया हुआ है। 24. यह कि इस प्रकार वार्षिक रिपोर्ट जो कूटरचित है इस तफतीष में इसलिये प्रस्तुत की गई कि यह बताया जा सके कि अभियुक्त संख्या 1 यू.सी.एन.आई.टी.ए. का मैनेजिग डायरेक्टर है और इस षडयंत्र में अभियुक्त संख्या 1 लगायत 31 शामिल है। क्योंकी उन सबको मालूम है कि अभियुक्त संख्या 1 के पास DIN नम्बर ही नही है और जो प्रेम रहमत मसीह का जो DIN नम्बर वह काम में ले रहे है वह भी निलम्बित है इस प्रकार इन समस्त अभियुक्तगण 1 लगायत 31 ने आपरधिक षडयंत्र रचकर कूटरचित रिपोर्ट कारपोरेट मंत्रालय में प्रस्तुत की और फिर उसी को सत्य दर्षाते हुए इस तफतीष में प्रस्तुत की। 25. यह कि प्रथम ईत्तला सूचना के अभियुक्त श्री सागर अल्फ्रेड व श्री रूबीन सतीष रायडु ने तफतीष के दौरान यह सारे तथ्य तफतीष अधिकारी के ध्यान में ला दिये थे और उन्होने कागजात भी दिये थे लेकिन उन्होने जानबूझकर अभियुक्तगण को गिरफतार करने की नियत से उक्त सारे दस्तावेज जांच पत्रावली में शामिल नही किये। 26. यह कि इस प्रकरण के अभियुक्त सागर अल्फ्रेड की जमानत की याचिका संख्या 12824/2018 जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में आई, तब अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त सारे दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। न्यायालय के न्यायाधिपति द्वारा उक्त दस्तावेजों की सत्यता को जांचने के लिये ब्यावर सदर के सी.आई. को आदेषित किया गया उन्होने 10 दिन का समय माँगा और फिर न्यायालय में दिनांक 12.11.2018 को उपस्थित होकर यह स्वीकार किया कि यह दस्तावेज वास्तविक एंव सही है। तब माननीय न्यायाधिपति द्वारा उनसे एक प्रष्न पूछा गया कि जब यह दस्तावेज सही है तो अभियुक्त को कैसे गिरफतार किया गया उसका वह जवाब नही दे सके और फिर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेष दिये गये। 27.यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेष से यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रथम ईत्तला सूचना बिना किसी क्षेत्र अधिकारिता के गलत व्यक्ति द्वारा कूटरचित आधारों पर प्रस्तुत की गई है। 28. यह कि अभियुक्त संख्या 32 जो कि तथाकथित रूप से राजस्थान डायसिस का बिषप है और उसे भी अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पावर आफ अर्टोनी दी गई है उन्हे भी यह मालूम है कि अभियुक्त संख्या 1 किसी भी संस्था में डायरेक्टर के पद पर नही है। फिर भी उन्होने उक्त कूटरचित पावर आफ अर्टोनी का दुरूपयोग करते हुए इस एफ.आई.आर. से सम्बधित सम्पति पर आकर खरीददार को खुलेआम धमकी दी कि मेरा नाम दरबारा सिह है मै प्रेम मसीह का पावर आफ अर्टोनी होल्डर हूँ और मौजूदा लोगों को गंम्भीर अंजाम भुगतने की धमकी दी मजदूरों को भगा दिया, वहा पर पडे सामान को एक जीप में भरकर कही भिजवा दिया इस प्रकार अभियुक्त संख्या 32 भी अभियुक्त संख्या 1 के साथ षडयंत्र में शामिल है और उसके द्वारा दी गई कूटरचित पावर आफ अर्टोनी का दुरूपयोग कर रहा है। 29. यह कि उपरोक्त प्रकार से इन सभी अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 417,420,465,466,467,468,471,120बी के अपराध किये। परिवादी ने इस संबध में थाना ब्यावर सदर के अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके रिपोर्ट देनी चाही तो उन्होने नही ली जिस पर उन्हे उक्त रिपोर्ट डाक द्वारा भेजी गई है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नही हुई। इसलिये माननीय न्यायालय में यह इस्तगासा प्रस्तुत किया जा रहा है। 30. यह कि इस प्रकरण की तफतीष पुलिस से कराया जाना अति आवष्यक है क्योंकी सारे ही अभियुक्तगण से तफतीष की जाकर वांछित दस्तावेज की बरामदगी की जा सके और न्यायालय में प्रस्तुत की जा सके। अत निवेदन है कि प्रकरण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3)के तहत थाना ब्यावर सदर ब्यावर में तफतीष हेतु भेजा जाये और बाद अनवीक्षा अभियुक्तगण को दण्डित किया जाये। ब्यावर दिनांक 10/12/18 परिवादी जरिये मुख्त्यारखास एसडी अनिल खरपाल

कार्यवाही पुलिस पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला अजमेर दिनाक 03.01.18 समय उपयुर्क्त टाईपशुदा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156(3) जाफौ में प्रार्थी अनिल खरपाल पुत्र स्व. तरसेमलाल निवासी अभियन्ता नगर गली नं. 1 वैषाली नगर अजमेर का विरूद्ध प्रेम मसीह वगैरह नफर 33 के न्यायालय श्रीमान एसीजेएम नं. 01 ब्यावर से जरिये डाक प्राप्त हुआ मजमुन इस्त्गासा रिर्पोट से मामला जुर्म धारा 417, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 120बी ताहि के वकु में आना पाया जाता। दर्ज कर मन एसएचओ सुरेन्द्रसिंह सीआई मशरूफ तफतीश हुआ एसआर/एफआईआर नियमानुसार जारी की जावेगी सीसीटीएनएस में प्रविष्टी दर्ज करने पर जारी एफआईआर क्रमांक पृथक से नीचे अंकित किया जावेगा।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
SURENDRA SINGH JODHA (निरीक्षक) / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.):** **Rank**
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): SURENDRA SINGH JODHA
Rank (पद): I (Inspector)
No(सं.):

SHO
P.S. Beawar Sadar
Distt.-Ajmer (Raj.)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): अजमेर P.S. (थाना): ब्यावर सदर Year (वर्ष): 2019

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0002 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/01/2019 17:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	417
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	465
4	भा दं सं 1860	466
5	भा दं सं 1860	467
6	भा दं सं 1860	468
7	भा दं सं 1860	471
8	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/01/2019 Time (समय): 17:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 031 Date & Time (दिनांक एवं समय) 03/01/2019 17:19:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): दक्षिण, 7 किमी Beat No. (बीट सं.) :

(b)Address(पता): उप पंजीयन कार्यालय, ब्यावर

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): अनील खरपाल

(b) Father's Name (पिता का नाम): स्व. तरसेमलाल

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 2001

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अभियंता नगर गली नं 1, वैशाली नगर, क्रिश्चयनगंज, अजमेर, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	अभियंता नगर गली नं 1, वैशाली नगर, क्रिश्चयनगंज, अजमेर, राजस्थान, भारत

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	प्रेम मसीह		पिता:रेव. रहमत मसीह	1. मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
2	जस्टिन बोनिफेस		पिता:जेएम बोनिफेस	1. बजाज नगर,जयपुर शहर (उत्तर, राजस्थान,भारत
3	पीके सामन्ता रॉय बिशप			1. अमृतसर,अमृतसर ग्रामीण,पंजाब, भारत
4	डॉ. पीसी सिंह			1. नेपियर टाउन,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत

5	डॉ. वी.ए. मालविया			1. 10,एबनेजर सोसायटी जीवराज पार्क, विजालपुर अहमदाबाद,अहमदाबाद शहर, गुजरात,भारत
6	डॉ. वी. जे. सिरवय्या			1. मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
7	वारिस मसीह			1. बस स्टेण्ड के सामने ,जयपुर रोड अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान, भारत
8	मिस्टर क्रिस्टोफर टेवरेस			1. जय स्तम्भ चौक,रायपुर,रायपुर, छत्तीसगढ़,भारत
9	पी.पी. मराण्डी बिशप			1. भागलपुर,भागलपुर,बिहार,भारत
10	अलवान मसीह			1. सीएनआई भवन 16 पण्डित मार्ग,न्यु देहली,नई दिल्ली,दिल्ली,भारत
11	युनिस मसीह			1. बिशप हाउस,सीएनआई मिशन कम्पाउण्ड,ब्राउन रोड लुधियाना, लुधियाना ग्रामीण,पंजाब,भारत
12	अविनाश कुमार			1. ईविंग क्रिश्चयन सीनियर सैकण्डरी स्कुल ब्राउन रोड,ब्राउन रोड लुधियाना, लुधियाना ग्रामीण,पंजाब,भारत
13	जोन शान्तानन्दा			1. सेन्ट मेरी चर्च एफिन्सटन पुल के नीचे, पैरल मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
14	प्रकाश पाटोले			1. होली क्रोस चर्च कम्पाउण्ड फर्स्ट फलोर 57 आर.बी. मार्ग,उमलखेडी मुम्बई,नवी मुंबई,महाराष्ट्र,भारत
15	एडवर्ड ई. मंगजी			1. मसीह कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल, बाउण्ड्री रोड इन्दाैर,इंदौर,मध्य प्रदेश, भारत
16	मनोज चरण			1. फर्स्ट चर्च सीएनआई शैलाना बस स्टेण्ड के पास रतलाम,रतलाम,रतलाम ,मध्य प्रदेश,भारत
17	आर.पी. टाईट्स			1. प्री बाईटर सेन्ट मार्ग चर्च छिलवाडा, छिलवाडा,छिंदवाड़ा,मध्य प्रदेश,भारत
18	सुरेश सी जैकब			1. मिशन प्रेस कम्पाउण्ड 2753 नेपियर टाउन,जबलपुर,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
19	अलीन मोहिते			1. एन आई क्यु हॉस्टल मिराज मेडिकल सेन्टर मिराज,मिराज,नवी मुंबई,महाराष्ट्र, भारत
20	संदीप राउत सांगली			1. मिशन कम्पाउण्ड,सांगली इण्डरस्ट्रीयल स्कूल राम मन्दिर के सामने,सांगली, अजमेर,राजस्थान,भारत
21	पी.एल कामले			1. बिशप हाउस,तारकपुर ओट्रन रोड अहमद नगर,अहमद नगर,अहमदाबाद ग्रामीण,गुजरात,भारत
22	संजय वागमारे			1. पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास, सारनपुर,सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
23	श्रीमति रचनासिंह			1. प्रिन्सिपल उरसुला गर्ल्स हाई स्कूल, सिविल लाईन नागपुर,नागपुर शहर, महाराष्ट्र,भारत

24	मिस्टर विजय सुतार			1. वैभव लक्ष्मी अपार्टमेन्ट,फलेट नम्बरँ एस ए 1 मोहन नगर,नागपुर,नागपुर शहर,महाराष्ट्र,भारत
25	एण्ड्रयु राठौड			1. 1ए जनरल भगत मार्ग लाल बंगलो, पुणे,पुणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
26	एम. यु. कसाब			1. बंगलो नम्बर 28/ए,मिशन कम्पाउण्ड, औरंगाबाद केन्ट,औरंगाबाद शहर,महाराष्ट्र, भारत
27	डॉ. लाल बहादुर कांगले			1. नूतन बसाहट अम्बाड रोड,जालना, जलना,महाराष्ट्र,भारत
28	श्री अजय धर्मराज			1. अवन्ती बाई का चौक,पंजाब नेशनल बैंक के पास लोधीपारा,रायपुर,रायपुर, छत्तीसगढ़,भारत
29	अशोक विश्वास			1. बिशप हाउस 51,चौरंगी रोड, कलकत्ता,कोलकाता उत्तर प्रभाग,पश्चिम बंगाल,भारत
30	पी.के. मित्रा			1. बिशप हाउस 51,चौरंगी रोड कलकता, कोलकाता उत्तर प्रभाग,पश्चिम बंगाल, भारत
31	डॉ. इनोसदास प्रधान			1. अनुग्रह निवास,मिशन कम्पाउण्ड केडी प्रधान रोड कलीमपाेंग,अरूणाचल प्रदेश, चांगलांग,अरुणाचल प्रदेश,भारत
32	दरबारासिंह बिशप			1. बस स्टेण्ड के सामने,अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान,भारत
33	राकेश सेमुएल			1. सचिव डायोसीस,बस स्टेण्ड के सामने, अजमेर,सिविल लाईन,अजमेर,राजस्थान, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या -1 ब्यावर परिवाद 212/2018 युनाईटेड चर्च आफ नॉर्दन इण्डिया जरिये अनिल खरपाल पुत्र स्व. तरसेमलाल निवासी अभियन्ता नगर गली नं. 1 वैशाली नगर अजमेर मुख्तयारखास श्री सी पी भुजवल मोडरेटर निवासी क्राईस्ट चर्च 381 रास्ता पेठ पुणे (मोडरेटर युसीएनआई) अभियोगी बनामा 1.श्री प्रेम मसीह पुत्र श्री रेव. रहमत मसीह ओमेगा बिल्डिंग 19 अगस्त क्रांति मार्ग मुम्बई 400007 2. श्री जस्टिन बोनिफेस पुत्र श्री श्री जे एम बोनिफेस निवासी ए 53 विद्यालय मार्ग बजाज नगर जयपुर 3. श्री पीके सामन्ता रॉय बिषप अमृतसर डायोसिस 26,

आर.बी.प्रकाषचंद रोड अमृतसर 4. डॉ. पी सी सिंह उपमोडरेटर जबलपुर डायोसिस 2131 नेपियर टाउन जबलपुर। 5. डॉ. वी ए मालविया 10 एबेनेजर सोसायटी जीवराज पार्क विजालपुर अहमदाबाद। 6. डॉ. वी जे सिरवयया विलसन कॉलेज चोपाटी मुम्बई। 7. श्री वारिस मसीह 2/10 सी एन आई सोषल सेन्टर बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर । 8. मिस्टर क्रिस्टोफर टेवरेस गोस मेमोरियल सेन्टर जय स्तम्भ चोक रायपुर । 9. श्री पी पी मराण्डी बिषप क्राईस चर्च कम्पाउन्ड भागलपुर बिहार।10. श्री अलवान मसीह बिषप सी एन आई भवन 16 पण्डित मार्ग न्यू देहली। 11. श्री युनिस मसीह बिषप हाउस सी एन आई मिषन कम्पाउण्ड ब्राउन रोड लुधियाना।12. श्री अविनाष कुमार ईविंग क्रिष्चन सीनियर सेकण्डरी स्कूल ब्राउन रोड लुधियाना। 13.० श्री जोन षान्तानन्दा सेन्ट मेरी चर्च एफिन्सटन पुल के नीचे परैल मुम्बई 14. श्री प्रकाष पाटोले होली क्रोस चर्च कम्पाउण्ड फर्स्ट फलोर 57 आर बी मार्ग उमल खेडी मुम्बई।15.श्री एडवर्ड ई मंगजी मसीह कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल 9० बाउण्ड्री रोड इन्दौर 16.श्री मनोज चरण फर्स्ट चर्च सी एन.आइ.षैलाना बस स्टेण्ड के पास रतलाम 17. श्री आर पी टाईटस प्री ब्राइटर सेन्ट मार्ग चर्च छिलवाडा मध्यप्रदेष।18. श्री सुरेष सी जैकब मिषन प्रेष कम्पाउण्ड 2753 नेपियर टाउन जबलपुर 19. श्री अलीन मोहीते एन आई क्यू हॉस्टल मिराज मेडिकल सेन्टर मिराज 20. श्री संदीप राउत सांगली इण्डरस्ट्रीयल स्कूल राम मन्दिर के सामने मिषन कम्पाउण्ड सांगली 21. श्री पी एल कामले बिषप हाउस तारकपुर ओट्रन रोड अहमद नगर 22. श्री संजय वागमारे पुलिस कमिष्नर कार्यालय के पास सारनपुर 23.श्रीमती रचना सिंह प्रिंसिपल उरसुला गर्ल्स हाई स्कूल सिविल लाईन्स नागपुर।.24. मिस्टर विजय सुतार वैभव लक्ष्मी अपार्टमेन्ट फलेट नम्बर एस ए 1 मोहन नगर नागपुर। 25.श्री एण्ड्रयू राठोड 1ए जनरल भगत मार्ग लाल बंगलो पुणे। 26. श्री एम यु कसाब बंगलो नम्बर 28/ए मिषन कम्पाउण्ड ओरगांबाद केन्ट।27. डॉ लाल बहादुर कांगले नुतन बसाहट अम्बाड रोड जालना महाराष्ट।28 श्री अजय धर्मराज अवन्ती बाई का चोक पंजाब नेषनल बेंक के पास लौधीपारा रायपुर।29. श्री अषोक विष्वास बिषप हाउस 51 चौंरगी रोड कोलकता।30. श्री पी के मित्रा बिषप हाउस 51 चौंरगी रोड कोलकता 31. डॉ इनोसदास प्रधान अनुग्रह निवास मिषन कम्पाउण्ड केडी प्रधान रोड कलीमपोंग अरूणाचल प्रदेष।32. श्री दरबारा सिंह बिषप सी एन आई डायोसिस राजस्थान बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर। 33. श्री राकेष सेमूएल सचिव डायोसिस राजस्थान बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड अजमेर।अभियुक्तगण परिवाद अन्तर्गत धारा 417,420,465,466,467,468,471,120बी भा.द.स. परिवादी माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करता है कि- 1.यह कि परिवादी संस्था एक धार्मिक संस्था है, जिसका गठन वर्ष 1924 में हुआ था और वर्ष 1970 में इसका पंजीकृत सोसायटी एक्ट के तहत हुआ था जिसका क्रमांक 28/1977-78 है। 2.यह कि चूंकि परिवादी संस्था मात्र एक सोसायटी थी, इसलिये उसने अपनी समस्त सम्पतियों को ग्रहण करने व रखरखाव के लिये एक ट्रस्टी संस्था युनाईटेड चर्च आफ नॉर्दन इण्डिया ट्रस्ट एसोषियेषन का का गठन कम्पनी एक्ट के तहत किया, जिसका क्रमांक 2912/1938-39 है। (जिसे अब आगे ट्रस्टी संस्था कहा जायेगा) 3.यह कि इसी संस्था का महाराष्ट्र सोसायटी एक्ट के प्रभाव में आने के बाद सोसायटी एक्ट में चैरेटी कमिष्नर बम्बई के यहा भी पंजीकरण करा दिया गया, जिसका क्रमांक डी97/1957 है। 4. यह कि ब्रिटिषकाल से ही ईसाई धर्म के मानने वाले लाखों व्यक्ति इस चर्च के सदस्य बने और समय समय पर इस चर्च में या तो सम्पतियां दान से प्राप्त होती रही अथवा इसका निर्माण किया जाता रहा या खरीदा गया, इस प्रकार चर्च की हजारों सम्पतियां सम्पूर्ण भारत में फैली हुई है। जिनका सम्पूर्ण नियंत्रण ट्रस्ट संस्था के जरिये चर्च के द्वारा किया जाता है। 5. यह कि राजस्थान राज्य में राजपूताना प्रेस बिटेरियन मिषन ने दिनांक 25.02.1972 को अपनी सारी सम्पतियां जो कि राजस्थान में स्थित है। परिवादी संस्था की ट्रस्ट एसोषिएषन में दिनांक 18.03.1971 को हस्तांतरित कर दी। 6. यह कि वर्ष 1971 में 6 चर्चों द्वारा विलीनीकरण के लिये मात्र एक प्रस्ताव पास किया लेकिन आगे कोई कार्यवाही नही की इस प्रस्ताव के बाद सी.एन.आई. के पदाधिकारियों द्वारा इन चर्च के प्रोपर्टी जिसमें परिवादी संस्था की बहुत ज्यादा सम्पतियां है, लूट मचा दी और विषेषकर अभियुक्त संख्या 1 ने सी.एन.आई. के सदस्य होना बताते हुए यू.सी.एन.आई.टी.ए.के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर वर्ष 1994 से काबिज होना बताते हुए विभिन्न लोगों को पॉवर आफ अर्टोनी देते हुए अरबों रूपयों ही हजारों सम्पतियां का बेचान कर दिया। 7. यह कि सी.एन.आई.के पदाधिकारियों द्वारा इस मची लूट को देखते हुए बर्द्रन चर्च आफ यू.एस.ए. की एक शाखा फर्स्ट डिस्ट्रिक चर्च आफ नार्दन बर्द्रन ने 6 चर्चा के एकांकीकरण के लिये प्रस्तुत चेन्ज रिपोर्ट दिनांक 44 व 665 वर्ष 1981 को अहमदाबाद न्यायालय में चुनौती दी अन्त में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 8800-8801/2013 विनोद कुमार एम मालविया बनाम मंगनलाल मंगलदास गमेति जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 30.09.2013 को खारिज कर दिया तथा चर्च के विलीनीकरण के लिये यह स्पष्ट मत दिया कि - after analysing the facts and the law in the matter.we have noticed that it is the duty of the society to take steps in accordance with section 13 of the SR Act for it is dissolution We have further noted that unless the properties vested in the trust are divested in accordance with the provisions of the SR Act and in accordance with the BPTA,merely by filing the change reports,CNI can not claim a merger of churches and thereby claim that the properties vested in the Trust would vest in them In our opinion it would only be evident from the steps taken that the passing of resolution in nothing but an indication to show the

intention to merge and nothing else 8.यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि मात्र प्रस्ताव पारित करने के आधार पर 6 चर्चा का विलीनीकरण नही हुआ है और मात्र प्रस्ताव पारित करने के आधार पर सी. एन.आई. 6 चर्चा की सम्पति को अपनी सम्पति नहीं बता सकती। 9. यह कि उपरोक्त स्पष्ट निर्णय के बावजूद उपरोक्त वर्णित अभियुक्तगण एक षडयंत्र के तहत एक मत होते हुए यू.सी.एन.आई.का सी.एन.आई. में विलीनीकरण बता रहा है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहा है। 10. यह कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. के गठन के लिये चर्च के 30 सदस्य जनरल असेम्बली द्वारा भेजे जाते है लेकिन अभियुक्त संख्या 01 ने अभियुक्तगण संख्या 02 लगायत 30 के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र किया और सारे व्यक्ति जो कि सी.एन.आई. के सदस्य है और यू.सी.एन.आई. के सी.एन.आई. में विलय को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी नही मानते हुए यू.सी.एन.आई.टी.ए. का सदस्य बनाने को सहमत हुए ताकि यू.सी.एन.आई.टी.ए. की सम्पतियों की लूट की जा सके तथा उन्हें अवैध रूप से बेचान किया जा सके। 11. यह कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. के सिद्धांत से स्पष्ट है कि उसके 30 सदस्यों की नियुक्ति यू.सी.एन.आई. की जनरल एसेम्बली द्वारा की जायेगी और फिर उन्हीं सदस्यों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/ट्रेजरार का चुनाव किया जायेगा। 12. यह कि उक्त स्पष्ट प्रावधान के बाद उपरोक्त अभियुक्तगण जो कि सी.एन.आई. के सदस्य है और इस यू.सी.एन.आई.टी.ए. के मेम्बर बने और उनमें से अभियुक्त संख्या 01 उस संस्था का स्वंयभू मैनेजिंग डायरेक्टर बना हुआ है और यह एक बडा भूमाफिया है, जिसने यू.सी.एन.आई.टीए. के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बाकी सदस्यों की सी.एन.आई. से नियुक्ति दिखाते हुए सम्पतियों का बेचान जारी रखा और वास्तविक संस्था के द्वारा किये गये वैधानिक बेंचानों के विरूध जगह जगह मुकदमें दर्ज कराये गये। 13. यह कि उपरोक्त अभियुक्त संख्या 2,3,4,5,6,7,8,31 अभियुक्त संख्या 01 से आपराधिक षडयंत्र करके यू.सी.एन.आई. टी.ए. के डायरेक्टर बन गये, ताकि मनमाने प्रस्ताव पारित किये जा सके और ट्रस्ट की संस्था की सम्पतियों को अवैध रूप से बेचान किया जा सके। 14. यह कि इसी क्रम में अभियुक्त संख्या 01 के तथाकथित पावर आफ अर्टोनी अभियुक्त संख्या 02 ने ब्यावर में 4 मुकदमें दर्ज कराये, जिसकी प्रथम ईत्तला सूचना 28/2018 थाना ब्यावर सदर है, जिसका माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसका मुकदमा नम्बर 470/2018 है। 15. यह कि मुकदमें की तफतीष के दौरान जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये वह पूर्ण रूप से कुटरचित है। अभियुक्त संख्या 02 ने जो पॉवर आफ अर्टोनी प्रस्तुत की वह दिनांक 22.10.2017 को ही समाप्त हो चुकी थी और इस मुकदमें को प्रस्तुत करने की तारीख पर उनकी पावर आफ अर्टोनी ही समाप्त हो गई थी, इस प्रकार उक्त पावर आफ अर्टोनी भी कूटरचित है। 16. यह कि उक्त पावर आफ अर्टोनी तथाकथित रूप से प्रोपर्टी कमेटी यू.सी.एन.आई.टी.ए. के प्रस्ताव के द्वारा की की गई है तथा वी एम मालवीया व वीजे सिरवया द्वारा निष्पादित की गई है जिसमें अभियुक्त संख्या 1 गवाह है। उक्त पावर आफ अर्टोनी पूर्णरूप से फर्जी है क्योंकी अभियुक्त संख्या 1 तथा अभियुक्त संख्या 5 तथा अभियुक्त संख्या 6 तीनों ही यू.सी.एन.आई. के सदस्य नही है तथा अभियुक्त संख्या 1 उक्त ट्रस्ट संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर भी नही है बल्कि सी.एन.आई. के सदस्य है, इस प्रकार उक्त पावर आफ अर्टोनी भी कूटरचित है। 17. यह कि इस तफतीष के दौरान अभियुक्त संख्या 1 ने दिनांक 29.04.2018 को एक पत्र थाना प्रभारी अधिकारी को लिखकर यह सूचित किया है कि उन्होने बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर यू.सी.एन.आई.टी.ए. अभियुक्त संख्या 2 को पावर आफ अर्टोनी नियुक्त कर रखा है उन्होने यह पत्र यू.सी.एन.आई.टी.ए. के मैनेजिंग डायरेक्टर के बतौर हस्ताक्षर किये है लेकिन वह मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नही है इस प्रकार उक्त पत्र भी कूटरचित है। 18 यह कि कम्पनी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को भारत की किसी भी कम्पनी ने डायरेक्टर बनने के लिये डिनDIN नम्बर लेना पडता है उसके बिना कोई भी व्यक्ति भारत की किसी भी कम्पनी में डायरेक्टर नही बन सकता है तथा एक व्यक्ति को एक ही डिन DIN नम्बर आवंटित होता है, चाहे वह कितनी भी कम्पनी में डायरेक्टर क्यों ना बने उसका डिन DIN नम्बर एक ही रहेगा। 19. यह कि अभियुक्त संख्या 1 ने कम्पनी मंत्रालय से छल करके दो डिन DIN नम्बर आवंटित कराये, जिसमें एक में उसका नाम प्रेम मसीह बताया गया है जिसका डिन DIN नम्बर 788353 है और दूसरा डिन DIN नम्बर प्रेम रहमत मसीह के नाम से जिसका डिन DIN नम्बर 00711699 है। 20. यह कि कम्पनी मंत्रालय द्वारा जब अभियुक्त संख्या 1 के उपरोक्त छल को पकडा गया तो उन्होने अपने आदेष दिनांक 21.05.2015 से अभियुक्त संख्या 1 द्वारा लिये गये द्वितीय DIN नम्बर 00788353 को समाप्त कर दिया। ज्ञातव्य रहे कि उक्त DIN नम्बर ही अभियुक्त संख्या 1 को तथाकथित रूप से प्रेम मसीह के नाम से आवंटित हुआ था। अभियुक्त संख्या 1 के पास ना तो पहले ना अब इस नाम का कोई DIN नम्बर मौजूद है और वह भारत के किसी भी कम्पनी में इस नाम से डायरेक्टर नही बन सकता। 21. यह कि दूसरा DIN नम्बर 00711699 प्रेम रहमत मसीह के नाम से जारी हुआ और उसे भी कम्पनी मंत्रालय ने दिनांक 01.11.2016 से 31.10.2021 तक के लिये निलंम्बित कर दिया है। ज्ञातव्य रहे कि यू.सी.एन.आई.टी.ए. में कभी भी प्रेम रहमत मसीह नाम का कोई व्यक्ति नही रहा है और प्रेम मसीह के नाम से जो DIN नम्बर प्राप्त हुआ था उसे कॉरपोरेट मंत्रालय ने समाप्त कर दिया। 22.यह कि इससे स्पष्ट है कि दिनांक 08.01.2018 को जब अभियुक्त संख्या 2 ने बतौर पावर आफ अर्टोनी होल्डर अभियुक्त संख्या 1 के इस्तगासा प्रस्तुत किया उस दिन उनके पास कोई पॉवर ऑफ अर्टोनी नही थी जो पावर आफ अर्टोनी उन्होने प्रस्तुत की है वह समाप्त हो चुकी थी और उन्होने यह जानते हुए भी उसे तफतीष में पेष किया साथ ही अभियुक्त संख्या 1 ने जो पत्र लिखा कि उन्होने अभियुक्त संख्या 2 को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पॉवर आफ अर्टोनी दी है वह भी कूटरचित है। क्योंकी उस तारीख को

अभियुक्त संख्या 1 भारत की किसी भी कम्पनी में डायरेक्टर नही थे और हो भी नही सकते थे। क्योंकी उनके पास तो कोई DIN नम्बर ही नही था। 23. यह कि इसी तफतीष के दौरान अभियुक्त संख्या 1 ने कम्पनी मंत्रालय में दिनांक 07.04.2017 को वार्षिक रिर्टन प्रस्तुत करी उसमें अभियुक्त संख्या 3 लगायत 31 बतौर सदस्य दर्षाये हुए है और अभियुक्त संख्या 3,4,5,6,7,8,31 बतौर डायरेक्टर दर्षाये हुए है और इन्होने अभियुक्त संख्या 1 को उक्त रिर्टन भरने की सहमति दे रखी है। उक्त वार्षिक रिर्टन भी कूटरचित है और तफतीष अधिकारी से मिलकर तफतीष में प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिपोर्ट को पेज नम्बर 5 पर प्रेम रहमत मसीह DIN नम्बर 00711699 बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर दस्तख्त किये है लेकिन जो लिस्ट डायरेक्टर के साथ में संलग्न है उसमें उनका नाम प्रेम मसीह दर्षाया गया है और प्रेम मसीह के पास कोई DIN नम्बर ही नही है, वह डायरेक्टर हो ही नही सकते और उन्होने प्रेम रहमत मसीह का जो DIN नम्बर काम मे लिया वह कारपेरेट मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.11.2016 से पाँच वर्ष के लिये निलम्बित किया हुआ है। 24. यह कि इस प्रकार वार्षिक रिपोर्ट जो कूटरचित है इस तफतीष में इसलिये प्रस्तुत की गई कि यह बताया जा सके कि अभियुक्त संख्या 1 यू.सी.एन.आई.टी.ए. का मैनेजिग डायरेक्टर है और इस षडयंत्र में अभियुक्त संख्या 1 लगायत 31 शामिल है। क्योंकी उन सबको मालूम है कि अभियुक्त संख्या 1 के पास DIN नम्बर ही नही है और जो प्रेम रहमत मसीह का जो DIN नम्बर वह काम में ले रहे है वह भी निलम्बित है इस प्रकार इन समस्त अभियुक्तगण 1 लगायत 31 ने आपराधिक षडयंत्र रचकर कूटरचित रिपोर्ट कारपोरेट मंत्रालय में प्रस्तुत की और फिर उसी को सत्य दर्षाते हुए इस तफतीष में प्रस्तुत की। 25. यह कि प्रथम ईत्तला सूचना के अभियुक्त श्री सागर अल्फ्रेड व श्री रूबीन सतीष रायडु ने तफतीष के दौरान यह सारे तथ्य तफतीष अधिकारी के ध्यान में ला दिये थे और उन्होने कागजात भी दिये थे लेकिन उन्होने जानबूझकर अभियुक्तगण को गिरफतार करने की नियत से उक्त सारे दस्तावेज जांच पत्रावली में शामिल नही किये। 26. यह कि इस प्रकरण के अभियुक्त सागर अल्फ्रेड की जमानत की याचिका संख्या 12824/2018 जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में आई, तब अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त सारे दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। न्यायालय के न्यायाधिपति द्वारा उक्त दस्तावेजों की सत्यता को जांचने के लिये ब्यावर सदर के सी.आई. को आदेषित किया गया उन्होने 10 दिन का समय माँगा और फिर न्यायालय में दिनांक 12.11.2018 को उपस्थित होकर यह स्वीकार किया कि यह दस्तावेज वास्तविक एंव सही है। तब माननीय न्यायाधिपति द्वारा उनसे एक प्रष्न पूछा गया कि जब यह दस्तावेज सही है तो अभियुक्त को कैसे गिरफतार किया गया उसका वह जवाब नही दे सके और फिर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेष दिये गये। 27.यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेष से यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रथम ईत्तला सूचना बिना किसी क्षेत्र अधिकारिता के गलत व्यक्ति द्वारा कूटरचित आधारों पर प्रस्तुत की गई है। 28. यह कि अभियुक्त संख्या 32 जो कि तथाकथित रूप से राजस्थान डायसिस का बिषप है और उसे भी अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पावर आफ अर्टोनी दी गई है उन्हे भी यह मालूम है कि अभियुक्त संख्या 1 किसी भी संस्था में डायरेक्टर के पद पर नही है। फिर भी उन्होने उक्त कूटरचित पावर आफ अर्टोनी का दुरूपयोग करते हुए इस एफ.आई.आर. से सम्बधित सम्पति पर आकर खरीददार को खुलेआम धमकी दी कि मेरा नाम दरबारा सिह है मै प्रेम मसीह का पावर आफ अर्टोनी होल्डर हूँ और मौजूदा लोगों को गंम्भीर अंजाम भुगतने की धमकी दी मजदूरों को भगा दिया, वहा पर पडे सामान को एक जीप में भरकर कही भिजवा दिया इस प्रकार अभियुक्त संख्या 32 भी अभियुक्त संख्या 1 के साथ षडयंत्र में शामिल है और उसके द्वारा दी गई कूटरचित पावर आफ अर्टोनी का दुरूपयोग कर रहा है। 29. यह कि उपरोक्त प्रकार से इन सभी अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 417,420,465,466,467,468,471,120बी के अपराध किये। परिवादी ने इस संबध में थाना ब्यावर सदर के अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके रिपोर्ट देनी चाही तो उन्होने नही ली जिस पर उन्हे उक्त रिपोर्ट डाक द्वारा भेजी गई है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नही हुई। इसलिये माननीय न्यायालय में यह इस्तगासा प्रस्तुत किया जा रहा है। 30. यह कि इस प्रकरण की तफतीष पुलिस से कराया जाना अति आवष्यक है क्योंकी सारे ही अभियुक्तगण से तफतीष की जाकर वांछित दस्तावेज की बरामदगी की जा सके और न्यायालय में प्रस्तुत की जा सके। अत निवेदन है कि प्रकरण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3)के तहत थाना ब्यावर सदर ब्यावर में तफतीष हेतु भेजा जाये और बाद अनवीक्षा अभियुक्तगण को दण्डित किया जाये। ब्यावर दिनांक 10/12/18 परिवादी जरिये मुख्त्यारखास एसडी अनिल खरपाल

कार्यवाही पुलिस पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला अजमेर दिनांक 03.01.18 समय उपयुर्क्त टाईपशुदा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156(3) जाफौ में प्रार्थी अनिल खरपाल पुत्र स्व. तरसेमलाल निवासी अभियन्ता नगर गली नं. 1 वैषाली नगर अजमेर का विरूद्ध प्रेम मसीह वगैरह नफर 33 के न्यायालय श्रीमान एसीजेएम नं. 01 ब्यावर से जरिये डाक प्राप्त हुआ मजमुन इस्त्गासा रिर्पोट से मामला जुर्म धारा 417, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 120बी ताहि के वकु में आना पाया जाता। दर्ज कर मन एसएचओ सुरेन्द्रसिंह सीआई मशरूफ तफतीश हुआ एसआर/एफआईआर नियमानुसार जारी की जावेगी सीसीटीएनएस में प्रविष्टी दर्ज करने पर जारी एफआईआर क्रमांक पृथक से नीचे अंकित किया जावेगा।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
SURENDRA SINGH JODHA (निरीक्षक) / or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** **Rank**
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): SURENDRA SINGH JODHA
Rank (पद): I (Inspector)
No(सं.):

SHO
P.S. Beawar Sadar
Distt.-Ajmer (Raj.)